सत्यमेव जयते
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
NIRMAN BHAWAN, NEW DELHI - 110011

भारतीय युवाः परिस्थिति एवं आवश्यकताएं 2006–2007

कार्यकारी सारांश

झारखण्ड

International Institute for Population Sciences

Population Council

This executive summary presents, in brief, findings on the situation of youth in Jharkhand, part of a sub-national study undertaken by the International Institute for Population Sciences, Mumbai and the Population Council, New Delhi, as part of a project to collect information on key transitions experienced by youth in India, including those related to education, work force participation, sexual activity, marriage, health and civic participation; the magnitude and patterns of young people's sexual and reproductive practices before, within and outside of marriage as well as related knowledge, decision-making and attitudes. The project was implemented in six states of India, namely, Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand, Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu.

For detailed reports please contact:

International Institute for Population Sciences
Govandi Station Road, Deonar
Mumbai 400088
India
Phone: 022-25563254-3256
email: iipsyouth@rediffmail.com
Website: http://www.iipsindia.org

Population Council
Zone 5-A, Ground Floor
India Habitat Centre
Lodi Road
New Delhi 110003
Phone: 011-2464 2901/02
email: info-india@popcouncil.org
Website: http://www.popcouncil.org/asia/india.html

The International Institute for Population Sciences (IIPS) is a deemed university under administrative control of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. The Institute engages in teaching and research in population sciences, and has been actively involved in building the capacity of Population Research Centres, and other state and central government offices that address population issues in the country and in the Asia-Pacific region. It has a proven record in conducting national- and sub-national-level studies in reproductive health, including the National Family Health Surveys and District Level Household and Facility Survey under the Reproductive and Child Health programme.

The Population Council is an international, non-profit, non-governmental organisation that seeks to improve the well-being and reproductive health of current and future generations around the world and to help achieve a humane, equitable and sustainable balance between people and resources. The Council conducts biomedical, social science and public health research, and helps build research capacities in developing countries.

Copyright © 2009 International Institute for Population Sciences, Mumbai and Population Council, New Delhi

Suggested citation: International Institute for Population Sciences (IIPS) and Population Council. 2009. *Youth in India: Situation and Needs 2006-2007, Executive Summary, Jharkhand.* Mumbai: IIPS.

भारतीय युवाः परिस्थिति एवं आवश्यकताओं का अध्ययन (युवा अध्ययन नाम से उल्लेखनीय) अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई एंव पॉपुलेशन काउन्सिल, नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित प्रथम अन्तर्राज्यीय अध्ययन है, जो कि भारत में विवाहित एवं अविवाहित युवाओं के प्रमुख अवस्था परिवर्तन अनुभवों को जानने के लिए किया गया है। 2001 में भारत के युवा वर्ग (10–24) की जनसंख्या 315 मिलियन थी जो भारत की कुल जनसंख्या का 31% है। यह वर्ग ना केवल भारत की भावी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य को प्रदर्शित करता है बल्कि इनका अनुभव व्यापक रूप से भारत की जनसंख्या स्थिरता के लक्ष्य की उपलब्धि एवं जनसांख्यिकीय लाभांश की सीमा को भी सुनिश्चित करेगा। यद्यपि आज के युवा पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक स्वस्थ, शहरी एवं शिक्षित हैं, परंतु उनमें सामाजिक एवं आर्थिक विषमताएं विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त, प्रौढावस्था की ओर अग्रसरित युवा अनेकों यौन एवं प्रजनन संबंधी जोखिमों का सामना करते हैं और कइयों में यौन एवं प्रजनन संबंधी विषयों का चुनाव करने की जानकारी एवं क्षमता का अभाव होता है।

युवाओं में निवेश के महत्व को ध्यान में रखते हुए सन 2000 से कई राष्ट्रीय नीतियों तथा कार्यक्रम बनाये गये हैं, जिनमें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय युवा नीति 2003, दसवीं एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाएं, राष्ट्रीय प्रजनन एंव यौन स्वास्थ्य योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने भारत में इस वर्ग के लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की है। किन्तु युवाओं की परिस्थिति एवं आवश्यकताओं से सम्बन्धित तथ्यों के अभाव में नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन बाधित हो रहा है। मौजूदा उपलब्ध तथ्य सीमित हैं और वे मुख्यतः लघुस्तरीय एवं अप्रतिनिधिक अध्ययनों से लिए गये हैं।

युवा अध्ययन ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में 15 से 24 वर्ष के विवाहित एवं अविवाहित युवा महिलाओं तथा अविवाहित युवा पुरुषों और 15 से 29 वर्ष के विवाहित पुरुषों (कम उम्र के विवाहित युवा पुरुषों के अभाव में) पर केन्द्रित हैं। इस अध्ययन में युवाओं के मुख्य परिवर्तन अनुभवों से संबंधित सूचनाएं एकत्र की गई हैं, जिसमें शिक्षा संबंधी, कार्य संबंधी, यौन क्रियाकलाप, विवाह, स्वास्थ्य एवं सामाजिक योगदान, वैवाहिक एवं विवाहेत्तर यौन एवं प्रजनन संबंधी व्यवहारों के विस्तार एंव उनके प्रकार उनसे संबंधित जानकारी, निर्णय क्षमता एवं दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है।

युवा अध्ययन का क्रियान्वयन तीन चरणों में किया गया, जिसमें एक सर्वेक्षण तथा सर्वेक्षण के पूर्व एवं पश्चात के गुणात्मक आँकड़ों का सम्मिश्रण है। अध्ययन भारत के 6 राज्यों यथा आन्ध्रप्रदेश, बिहार, झारखण्ड, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं तमिलनाडु में चरणबद्ध रूप से किया गया है।

प्रस्तुत विवरण झारखण्ड में किये गये सर्वेक्षण के परिणामों पर केन्द्रित है। यह सर्वेक्षण फरवरी से अक्टूबर 2006 के मध्य किया गया। सर्वेक्षण के दौरान 10,708 युवाओं से सर्म्पक किया गया जिनमें से 8,814 विवाहित एवं अविवाहित युवा महिलाओं एवं पुरुषों का सफलतापूर्वक साक्षात्कार किया गया था।

पारिवारिक जनसंख्या की विशेषताएं

कुल 28,318 परिवार साक्षात्कार के लिए चयनित किये गये थे। इनमें से 25,978 चयनित परिवारों एवं 137,669 व्यक्तियों, जो कि इन परिवारों के सामान्य निवासी थे, का सफलतापूर्वक साक्षात्कार पूर्ण किया गया। सर्वेक्षित जनसंख्या का आयु वर्गीकरण उच्च प्रजनन दर को दर्शाता है, जिसमें जनसंख्या का एक बड़ा भाग युवा वर्ग के अंतर्गत है न कि प्रौढ़ आयु

वर्ग में। युवा अध्ययन एवं 2001 जनगणना के आयु वर्गीकरण की तुलना से पता चलता है कि 2001 से 2006 के बीच प्रजनन का स्तर लगभग समान ही रहा है। युवा जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में आयु वर्गीकरण यह दर्शाता है कि सर्वेक्षण के समय 13% जनसंख्या 10 से 14 वर्ष, 10% 15 से 19 वर्ष एवं 8% 20 से 24 वर्ष के आयु समूह में थी। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कुल 18% जनसंख्या 15 से 24 वर्ष के आयु समूह में थी।

कुल मिलाकर राज्य की प्रायः रहने वाली (dejure) जनसंख्या में स्त्री–पुरुष का अनुपात 978 स्त्रिया प्रति 1000 पुरुष था। शिशुओं में यह अनुपात (0–6 वर्ष) 960 बालिकाएं प्रति 1000 बालक था। जो कि 2001 जनगणना के आँकड़ों (965) के लगभग समान था।

पारिवारिक जनसंख्या की शैक्षणिक उपलब्धि राज्य में शिक्षा के स्तर को दर्शाता है, जिसमें छः वर्ष या उससे अधिक आयु की पाँच में दो से आधिक (42%) जनसंख्या औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थी। विशेष रूप से 30% पुरुषों की तुलना में 55% महिलाएं एवं 23% शहरी जनसंख्या की तुलना में 48% ग्रामीण लोग कभी विद्यालय नहीं गये। अध्ययन यह भी दर्शाता हैं कि कुल जनसंख्या में केवल 8% लोगों ने ही 12 वर्ष या उससे अधिक की शिक्षा प्राप्त की थी, जो कि राज्य के निम्न शिक्षा स्तर की ओर संकेत करता है।

सर्वेक्षण में चयनित जनसंख्या की घरेलू विशेषताएं, राज्य में ज्यादातर लोगों के खराब जीवनयापन की स्थितियों को रेखाकिंत करती है। कुल मिलाकर 63% परिवार कच्चे घरों में (मिट्टी, छप्पर या अन्य निम्नस्तरीय सामग्री से बने हुए) 15% अर्ध–पक्के घरों में (निम्न एवं उच्च स्तरीय सामग्री से बने हुए), एवं 22% पक्के घरों में (पूरी तरह से सीमेंट, राजगिरी या अन्य उच्च स्तरीय सामग्री से बने हुए) रहते थे। केवल 37% घरों, जिसमें 87% शहरी एवं 24% ग्रामीण घर, में बिजली उपलब्ध थी। आधे से थोड़ा ज्यादा घरों में उनके पेयजल नल से, हैण्डपम्प से, ढके हुए कुएं से मिलता था। प्रत्येक पांच में से केवल एक घर में किसी भी प्रकार की शौच–सुविधा थी।

परिवारों का सम्पत्ति के अनुसार क्रमशः पांच भागों में वर्गीकरण तीक्ष्ण ग्रामीण–शहरी विभाजन को दर्शाता हैं, पांच में से तीन भाग से ज्यादा शहरी घर सम्पत्ति की उच्चतम श्रेणी में पाये गये जबकि केवल 9% ग्रामीण घर ही इस श्रेणी में थे इसी प्रकार, एक चौथाई ग्रामीण घरों (परिवारों) के तुलना में केवल 3% शहरी परिवार सबसे निम्न श्रेणी में थे।

युवाओं की स्थिति

जैसे कि पहले उल्लेखित किया गया है, कुल मिलाकर 8,814 युवाओं का साक्षात्कार किया गया। आयु वर्गीकरण, यह दर्शाता है कि युवा पुरुषों एवं महिलाओं का एक बड़ा भाग 20–24 वर्ष की अपेक्षा 15–19 वर्ष के आयु वर्ग में केन्द्रित था (43–44% की तुलना में 56–57%)। इसके अतिरिक्त, अविवाहित युवा विवाहितों से कम उम्र के थे। धर्म के अनुसार वितरण यह दर्शाता है, कि 70–72% युवा हिन्दू, 13–14% मुस्लिम एवं 11–13% सरना धर्म के अनुयायी थे। जातीय वर्गीकरण यह दर्शाता है कि 12–16% युवा सामान्य जाति, 14% अनुसूचित जाति, 24–25% अनुसूचित जनजाति तथा 46–49% अन्य पिछड़ी जाति वर्ग के थे। लगभग पांच में से चार युवाओं ने यह बताया कि उनके दोनों अभिभावक (माता–पिता) जीवित थे। ऐसे युवा जिन्होंने यह बताया कि उनके केवल एक ही अभिभावक जीवित है, उन अभिभावकों में माता के जीवित होने की संभावना (12%) पिता के जीवित होने (4–6%) की तुलना में ज्यादा थी। अंत में, 2–3% ने बताया कि उनके दोनों अभिभावक (माता–पिता) जीवित नहीं थे।

शिक्षा

यद्यपि झारखण्ड में साधारणतः युवा वर्ग शेष जनसंख्या की तुलना में अधिक शिक्षित थे, फिर भी राज्य में युवा वर्ग में शिक्षा सार्वभौमिकता से परे थी। सात में से एक युवा पुरुष एवं पांच में से दो युवा महिलाएं कभी भी विद्यालय नहीं गये थे। इसके अतिरिक्त परिणाम दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की युवा महिलाएं तथा साधारणतः विवाहित युवा महिलाएं विशेषरूप से प्रतिकूल स्थिति में थी। लगभग आधी या उससे अधिक ग्रामीण युवा महिलाएं एवं विवाहित युवा महिलाएं कभी भी विद्यालय नहीं गयीं थी।

युवाओं में, विशेषतः युवा महिलाओं में ना केवल विद्यालय में नामांकन सीमित था अपितु उनमें शिक्षा पूर्ण करने की दर भी काफी कम थी। उदाहरणार्थ, युवा महिलाओं में, उनमें से जिन्होने कक्षा–1 की शिक्षा पूर्ण की थी, केवल 93% कक्षा–3 पूरी कर पायी तथा यह दर कक्षा–4 में गिरकर 90% हो गयी। इसके विपरीत, युवा पुरुषों में 95% ने कक्षा–4 की शिक्षा पूर्ण की तथा यह दर कक्षा–6 में 90% से नीचे आ गयी। जैसे–जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता गया, शिक्षा पूर्ण करने के दर में निरन्तर गिरावट पायी गयी। विशेषकर कक्षा 8 एवं 11 के बीच में शिक्षा पूर्ण करने के दर में भारी गिरावट पायी गयी, जो यह दर्शाता है कि बहुत से युवा हाईस्कूल स्तर पर विद्यालय छोड़ दिए थे। वास्तव में केवल 32% युवा पुरुषों एवं 16% युवा महिलाओं ने हाईस्कूल की शिक्षा पूर्ण की। यह ध्यान देने योग्य है कि सर्वेक्षण के समय लगभग आधे अविवाहित युवा (और बहुत थोड़े विवाहित) अभी भी विद्यालय या कॉलेज में थे। इसके अतिरिक्त अविवाहितों में लगभग समान प्रतिशत के युवा पुरुष एवं महिलाएँ अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

Cumulative percentage of youth who had completed each year of education (Classes 1 to 17), Jharkhand (combined), 2006

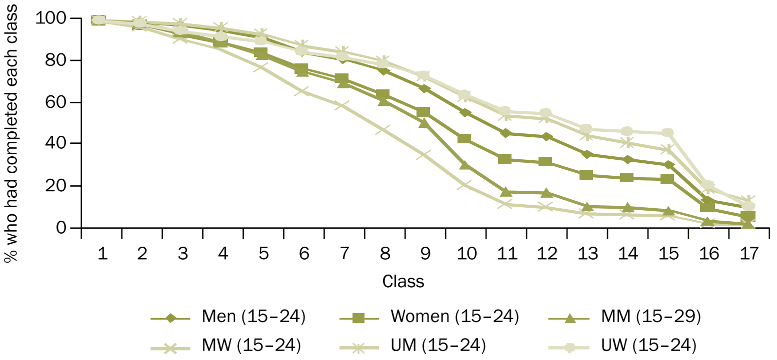

MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women

Cumulative percentage of youth who had completed each year of education (Classes 1 to 17), Jharkhand (urban), 2006

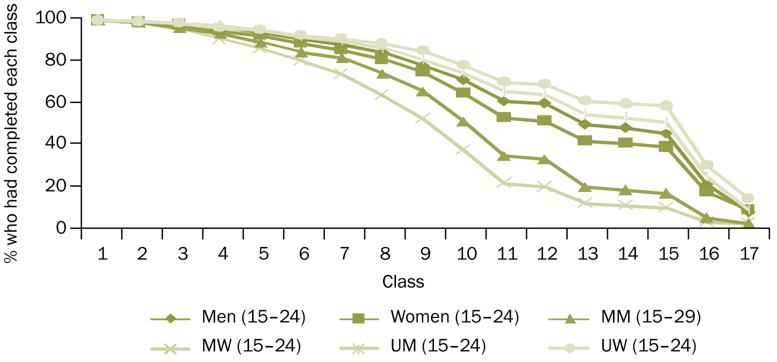

MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women

युवा पुरुषों एवं महिलाओं में कभी भी विद्यालय न जाने के मुख्य कारण आर्थिक (उदाहरण के लिए, उत्तरदाता का पारिवारिक खेत/व्यवसाय या बाहर मजदूरी करने जाना या परिवार का शिक्षा संबंधी खर्चों को वहन न कर सकना) एवं दृष्टीकोण

तथा सोच संबंधी (उदाहरण के लिए, शिक्षा अनावश्यक थी या उत्तरदाता की शिक्षा ग्रहण करने में रूचि नहीं) थी। इसके अतिरिक्त घरेलू काम काज संबंधी कारक (उत्तरदाताओं को भाई–बहनों की देखभाल करना या घरेलू काम–काज करना) युवा महिलाओं के कभी विद्यालय न जाने के मुख्य कारण थे।

उनमें से जो कभी भी विद्यालय गये थे, विद्यालय छोड़ने के कारणों में स्त्री पुरुष भेद ज्यादा पाया गया।

Cumulative percentage of youth who had completed each year of education (Classes 1 to 17), Jharkhand (rural), 2006

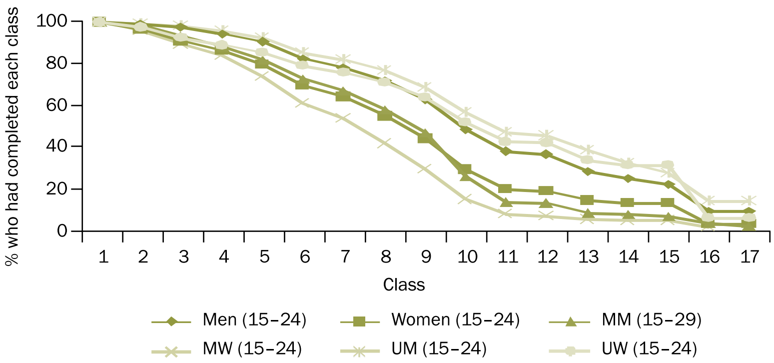

MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women

Percentage of youth who had discontinued schooling by class when discontinued and reasons for discontinuation, Jharkhand, 2006

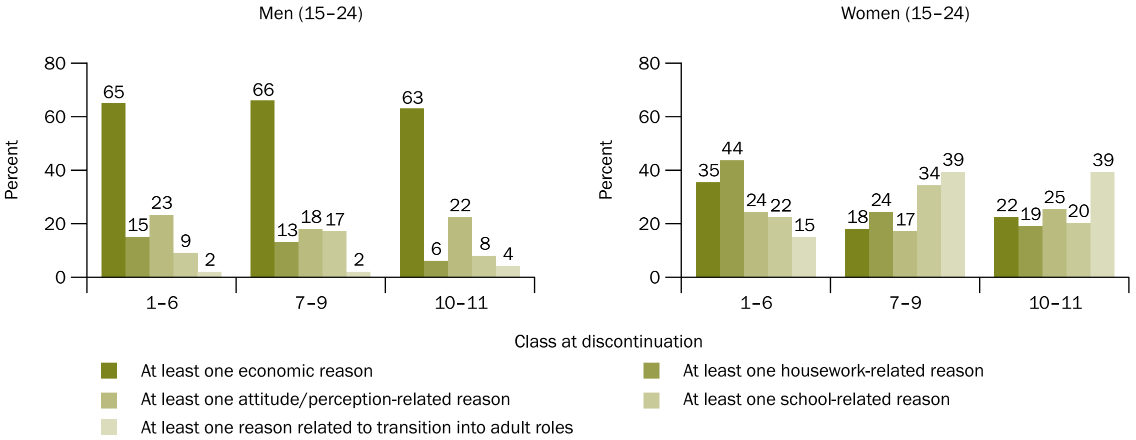

आर्थिक विषय एवं सोच संबंधी कारक, युवा पुरुषों एवं महिलाओं के विद्यालय छोड़ने के मुख्य कारण पाये गये। ये कारण शिक्षा किस स्तर पर छोड़ी गयी उस पर निर्भर नहीं करते। युवा महिलाओं के लिए कुछ अन्य कारण जैसे कि, विद्यालय संबंधी कारण (उदाहरणस्वरूप शैक्षिक असफलता, विद्यालय से दूरी, विद्यालय की निम्न गुणवत्ता एवं सुविधाएं) तथा घरेलू कामकाज की जिम्मेदारियां हर स्तर पर विद्यालय छोड़ने के महत्वपूर्ण कारण पाये गये। यह विशेषरूप से ध्यान देने योग्य है कि पांच में से एक से ज्यादा विवाहित युवा महिलाओं ने जिन्होने कक्षा 7वीं पूरी नहीं की तथा आधी या उससे ज्यादा विवाहित युवा महिलाओं ने जिन्होने कक्षा 7–9वीं एवं कक्षा 10–11वीं में शिक्षा छोड़ दी, क्रमशः शिक्षा छोडने का कारण 'विवाह' बताया।

युवाओं को प्राप्त शैक्षिक सुविधाओं के प्रकार में भी स्त्री–पुरुष भेद पाया गया। युवा महिलाओं में सह–शिक्षा सुविधा में उच्चस्तरीय शिक्षा प्राप्त करने की संभावना कम पायी गयी। इसके विपरीत, युवा पुरुष हर स्तर की शिक्षा सह–शिक्षा सुविधाओं में प्राप्त करते थे। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों मे, पुरुषों के तुलना में अत्यंत कम युवा महिलाओं

ने हाईस्कूल और उससे आगे अपनी शिक्षा जारी रखी। जिन्होने ऐसा किया उनमें से ज्यादातर ने निजी (गैर–सरकारी) विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की।

वह युवा जो सर्वेक्षण के समय विद्यालय में थे तथा वह जिन्होने अपनी शिक्षा विभिन्न स्तरों पर छोड़ दी, उनके द्वारा शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं में अंतर पाया गया। उदाहरण के लिए ऐसे युवा जो सर्वेक्षण के समय विद्यालय छोड़ चुके थे उनकी तुलना में ऐसे युवा जो सर्वेक्षण के समय विद्यालय में थे उनके विद्यालय में अधिकांशतः जल, शौचालय, खेल के मैदान तथा पुस्तकालय की सुविधा की संभावना ज्यादा थी। साक्षात्कार के समय विद्यालय छोड़ देने वालों तथा विद्यालय जारी रखने वालों के शैक्षिक अनुभव भी कुछ हद तक भिन्न थे। यद्यपि नियमित उपस्थिति तथा शैक्षणिक भार के अनुभवों के अन्तर में ज्यादा समानता नहीं थी, किन्तु जिन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी थी, उनके व्यक्तिगत शिक्षण प्राप्त करने तथा अंतिम परीक्षा जिसमें वे सम्मिलित हुए थे, में उत्तीर्ण होने की संभावना ज्यादा थी।

कार्य

कार्य विवरण यह दर्शाता है कि दो–तिहाई युवा पुरुष तथा आधी युवा महिलाओं ने कभी न कभी वैतनिक या अवैतनिक कार्य किया था। वास्तव में आधे से ज्यादा युवा विवाहित महिलाओं तथा पांच में से दो युवा अविवाहित महिलाओं की तुलना में लगभग सभी विवाहित युवा पुरुष एवं पांच में से तीन अविवाहित युवा पुरुष ने ऐसा किया था। इसी तरह शहरी युवाओं की तुलना में ग्रामीण युवाओं के एक बड़े भाग ने जीवनकाल में कभी भी कार्य किया था। यद्यपि ज्यादातर युवाओं ने वैतनिक कार्य किया कुछ युवा पुरुषों (27%) एंव महिलाओं (33%) ने पारिवारिक खेत या व्यवसाय से संबंधित अवैतनिक कार्य किया, ऐसा बताया। प्रायः आर्थिक गतिविधियां कम उम्र में ही आरम्भ हो गयी थी। चार में से एक से ज्यादा (29%) युवा पुरुषों तथा तीन में से एक युवा महिलाओं (35%) ने बताया कि उन्होंने बचपन या आरम्भिक किशोरावस्था (15 वर्ष से कम आयु) के पूर्व में ही कार्य शुरू कर दिया था। साक्षात्कार के 12 महीने पूर्व के कार्य सहभागिता के आंकड़े यह बताते है कि ज्यादातर युवा पुरुष अविवाहित (57% एवं विवाहित के 96%) एवं युवा महिलाओं के कुछ भागों ने (42% एवं 47%) क्रमशः साक्षात्कार के पिछले 12 महीने के अंतर्गत वैतनिक या अवैतनिक कार्य किया। अधिकांश युवा पुरुषों (63%) ने जिन्होने साक्षात्कार के एक वर्ष पूर्व कार्य किया था, वर्ष के ज्यादातर भाग में (कम से कम छः महीने) ऐसा किया था। इसके विपरीत, युवा महिलाओं में से केवल एक–तिहाई ने वर्ष के ज्यादातर भाग में कार्य किया था।

वर्तमान अध्ययन युवा पुरुषों (22%) एवं युवा महिलाओं (26%) में बेरोजगारी की समस्या को उजागर करता है। विवाहित युवा पुरुषों की तुलना में अविवाहित युवा पुरुषों में बेरोजगारी की दर अधिक थी, जबकि युवा महिलाओं में इससे विपरीत स्थिति देखी गयी। निष्कर्ष संकेत करते हैं कि शहरी क्षेत्रों में युवा महिलाओं में विशेषरूप से विवाहितों में, बेरोजगारी की दर ज्यादा पायी गयी। शिक्षित एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ युवाओं में भी बेरोजगारी असामान्य रूप से ज्यादा पायी गयी।

सर्वेक्षित युवाओं ने ऐसी प्रवीणताओं को ग्रहण करने में रूचि दिखायी जो उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायक हो, तीन में से दो युवा पुरुषों एंव चार में से तीन युवा महिलाओं ने व्यावसायिक प्रशिक्षण ग्रहण करने में रूचि दिखायी। यद्यपि

Percentage of youth who engaged in paid or unpaid work in last 12 months, Jharkhand, 2006

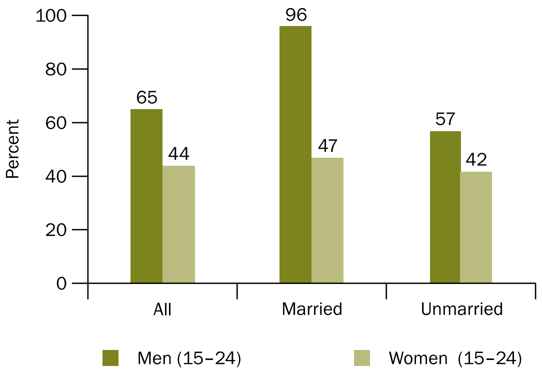

Percentage of youth who ever attended a vocational training programme and percentage who were interested in participating in such programmes, Jharkhand, 2006

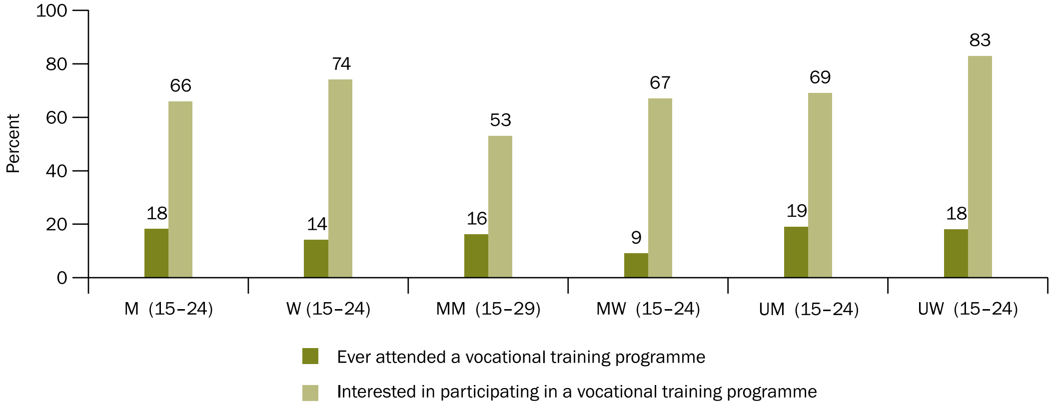

M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women

बहुत कम–केवल 18% युवा पुरुषों एवं 14% युवा महिलाओं ने कम से कम एक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया था।

प्रसार माध्यमों से संपर्कः

युवाओं का एक बड़ा हिस्सा प्रसार माध्यमों से अवगत था। मुख्य रूप से युवा समाचार पत्र, पत्रिकाओं या पुस्तकों से (5 या उससे अधिक वर्षों की शिक्षा प्राप्त किए हुए 88% युवा पुरुष एवं 74% युवा महिलाएं), एवं टेलिविजन या दूरदर्शन संचार से (सभी युवा पुरुषों का 79% एवं सभी महिलाओं का 62%) अवगत थे। इंटरनेट माध्यम से बहुत कम युवा (5 या उससे अधिक वर्षों की शिक्षा प्राप्त किए हुए 11% युवा पुरुष एवं 6% युवा महिलाएं) अवगत थे।

निष्कर्ष यह भी दर्शाते हैं कि तीन में से एक युवा पुरुष एवं 4% युवा महिलाओं ने कभी अश्लील सिनेमा देखा तथा पांच में से एक युवा पुरुष एवं 5% युवा महिलाओं ने अश्लील पुस्तकों एवं पत्रिकाओं को कभी पढ़ा था। वह युवा जिन्होने अश्लील पुस्तक या पत्रिका या सिनेमा के बारे में बताया था उनमें से आधे से ज्यादा ने उसका उपयोग कभी–कभी या बहुत बार किया था। अंततः पांच में से दो युवा पुरुष एवं पांच में से तीन युवा महिलाओं ने, यह माना कि युवा पीढ़ी पर संचार माध्यमों का प्रभाव पड़ता है।

सामाजिकरण अनुभव एवं अभिभावको से संपर्कः

अध्ययन दर्शाता है कि साधारणतः युवाओं का सामाजिकरण पुरुषों एवं महिलाओं में भिन्न था। उदाहरण के लिए ज्यादातर चयनित परिवारों में, दोनों युवा पुरुष एवं महिलाओं के उतर पुरुष एवं स्त्रियों में आने–जाने की स्वतंत्रता के असमान मानदण्डों को दर्शाता है। लगभग दो–तिहाई युवा पुरुषों ने स्वीकार किया कि उन्हें अपनी सगी बहनों या दूर की बहनों के तुलना में बाहर जाने की ज्यादा स्वतंत्रता थी, तथा समान अनुपात के युवा महिलाओं ने माना कि उन्हें अपने सगे भाइयों या दूर के भाइयों की तुलना में बाहर जाने की कम स्वतंत्रता थी। आमतौर पर अभिभावक दोनों युवा पुरुषों एवं

महिलाओं के सामाजिक पारस्परिक व्यवहारों को नियंत्रित करते पाये गये, विशेषकर विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ। इसके अतिरिक्त युवा पुरुषों की तुलना में युवा महिलाओं के ज्यादा प्रतिबंधो को अनुभव करने की संभावना थी। उदाहरण के लिए 71% युवा पुरुषों ने तथा 88–90% युवा महिलाओं ने यह बताया कि यदि वह अपने विपरीत लिंग के मित्र को घर लाते हैं तो उनके अभिभावक इस बात से असहमत होंगे।

Percentages of youth reporting gendered socialisation experiences relative to an opposite sex sibling/cousin, Jharkhand, 2006

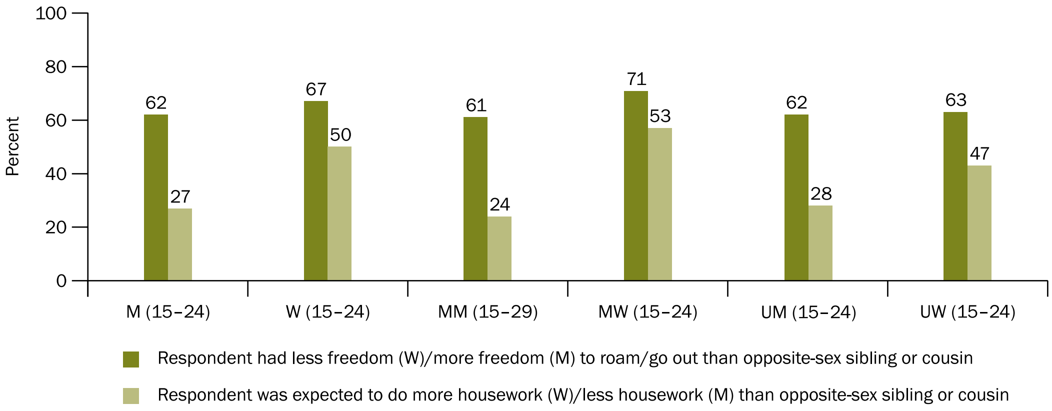

M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women

Note: For married respondents, questions referred to the period prior to marriage

यह भी ध्यान देने योग्य है कि परिवार के एक बड़े समूह ने घरेलू काम–काज से जुड़ी अपेक्षाओं में अपने बेटे और बेटियों में भेदभाव नहीं किया। केवल एक–चौथाई युवा पुरुषों ने बताया कि उनसे अपनी सगी बहनों या दूर की बहनों की तुलना में, कम काम करने की अपेक्षा की जाती थी, और आधी युवा महिलाओं ने स्वीकार किया कि उनके सगे भाइयों या दूर के भाइयों की तुलना में, ज्यादा काम करने की अपेक्षा की जाती थी। इसके अतिरिक्त, परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि, युवा महिलाएं ज्यादा प्रतिबंधो का अनुभव करती हैं, अभिभावक युवा पुरुषों के पारस्परिक व्यवहार पर भी काफी प्रतिबंध रखते थे, जिनमें समलैंगिक मित्रों पर भी रोक–टोक शामिल थी।

युवाओं में उपयुक्त विषयों पर अभिभावकों से संपर्क जैसे– शैक्षणिक प्रदर्शन, मैत्री संबंध, छेडखानी, शारीरिक परिपक्वता, प्रेम संबंध, प्रजनन प्रक्रिया इत्यादि, के बारे में निष्कर्ष यह दर्शाता है कि उपरोक्त विषयों पर सम्वाद सर्वव्यापी नहीं था– जैसा कि कई अन्य अध्ययनों में भी पाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि संवेदनशील विषयों जैसे कि प्रेम संबंध, प्रजनन प्रक्रिया एवं गर्भ निरोधक (सभी युवाओ में), तथा युवा पुरुषों में किशोरकालीन शारीरिक परिवर्तन जैसे विषय भी कदाचित ही किसी अभिभावक के साथ चर्चा किए गये।

रोजगार से लेकर स्त्री–पुरुष के संबंधो तक विषयों की एक शृंखला पर, सबसे उपयुक्त विश्वासपात्र व्यक्ति से जुड़े प्रश्नों की प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट होता है कि अभिभावकों एवं बच्चों के बीच संपर्क सीमित था। यद्यपि काम करने (रोजगार, नौकरी) जैसे सामान्य विषयों पर अभिभावक मुख्य विश्वासपात्र पाये गये, परंतु ज्यादा संवेदनशील विषयों में उन्हें कदाचित ही मुख्य विश्वासपात्र पाया गया। इसके अतिरिक्त, युवा महिलाओं ने मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं एवं छेड़छाड़ के

अनुभव जैसे विषयों पर, अपनी मां को सबसे संभव विश्वासपत्र बतलाया। इसके विपरीत युवा पुरुषों ने कदाचित ही किसी अभिभावक को स्वप्नदोष जैसे विषयों पर मुख्य विश्वासपात्र बताया। वास्तव में, ना ही युवा पुरुषों ने और ना ही युवा महिलाओं ने किसी अभिभावक को स्त्री–पुरुष के संबंधो पर मुख्य विश्वासपात्र बताया।

युवाओं ने अपने पारिवारिक जीवन में हिंसा देखी है (उनके स्वयं के ऊपर हुई हिंसा तथा परिवार के सदस्यों के बीच हुई हिंसा)। लगभग चार में से एक युवा ने देखा कि उनके पिता ने कभी उनकी माता को मारा था। अनेक उत्तरदाताओं ने यह भी बताया कि किशोरावस्था में उनके अभिभावकों ने कभी उनको मारा, पांच में से दो से ज्यादा युवा पुरुषों एवं सात में से एक युवा महिला ने ऐसे अनुभवों के बारे में बताया।

समवयस्कों से मेलजोल एवं पारस्परिक व्यवहार:

युवाओं का विकास उनके अपने करीबी साथियों के मेलजोल से प्रभावित था। लगभग सभी युवाओं ने समलिंगी मित्रो के बारे में बताया। युवा महिलाओं की तुलना में युवा पुरुषों ने ज्यादा साथी होने के बारे में बताया। विपरीत लिंग के साथियों से मेलजोल कम था, किंतु लगभग एक चौथाई युवा पुरुषों एवं पांच मे से एक युवा महिला ने इस बारे में बताया। मित्रो के साथ पारस्परिक व्यवहार, गपशप करने एवं उनके साथ खेलने जैसी गतिविधियों तक सीमित था, फिर भी युवा पुरुषों ने पिकनिक या सिनेमा जाने जैसे बाहरी गतिविधियों में शामिल होने के बारे में भी बताया। परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि व्यक्तिगत विषयों पर युवा अपने सहचरो से महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त करते थेः मित्र स्त्री–पुरुष के संबंधों पर दोनो, युवा पुरुषों एवं महिलाओं के लिए तथा स्पप्नदोष के बारे में युवा पुरुषो के मुख्य विश्वासपात्र थे।

एजेन्सी (Agency) एवं लैंगिक भूमिकाओं के प्रति दृष्टिकोण:

वर्तमान अध्ययन युवा महिलाओं में सीमित एजेन्सी को रेखांकित करता है। उदाहरण के लिए, चार में से केवल एक महिला ने, सर्वेक्षण में अन्वेषित सभी तीनों विषयों, जैसे मित्रो का चुनाव, पैसे खर्च करना एवं अपने लिए कपड़े खरीदने के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की जानकारी दी। इसी प्रकार युवा महिलाओं में गांव या आस–पड़ोस में आने जाने की स्वतंत्रता भी सर्वव्यापक नहीं पायी। केवल पांच में से तीन युवा महिलाओं को गांव में आस–पड़ोस की जगहों पर अकेले आने जाने की स्वतंत्रता थी। इसके अतिरिक्त, आठ में से केवल एक युवा महिला ने गांव या आस–पड़ोस के बाहर, कम से कम एक जगह अकेले आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया। तथा दस में से एक ने बताया कि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अकेले आने–जाने की स्वतंत्रता थी। युवा महिलाओं में आर्थिक साधनों पर नियंत्रण सीमित पाया गया केवल पांच में से दो ने कुछ बचत के बारे में बताया। इसी तरह 10 में से एक युवा महिला ने यह बताया की उनका निजी बैंक या पोस्ट ऑफिस बचत खाता (डाकघर बचत खाता) था। जिनके पास अपना निजी खाता था, उनमें से केवल आधी या उससे कम ने यह बताया कि वह स्वयं उस खाते से लेनदेन करती थी।

Percentage of youth who independently made decisions on choice of friends, spending money and buying clothes for themselves, Jharkhand, 2006

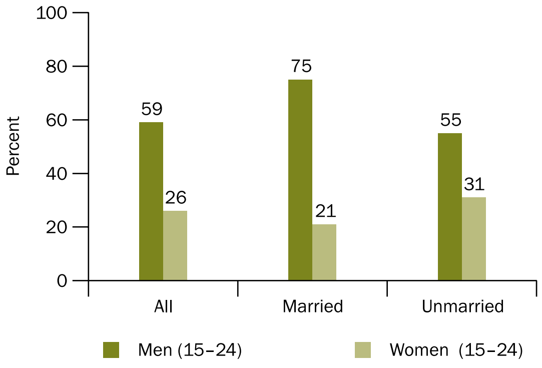

यदि हम युवा महिलओं के विभिन्न उप–समूहों को देखे तब अध्ययन के निष्कर्ष यह बताते हैं कि अविवाहित युवा

महिलाओं की तुलना में विवाहित युवा महिलाओं की स्थिति निम्न है। सभी बातों का ध्यान रखते हुए ज्ञात होता है कि अविवाहितों की तुलना में विवाहित युवा महिलाओं में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने तथा आने जाने की स्वतंत्रता कम थी। इसके साथ ही यह भी पाया गया कि अविवाहित महिलाओं की तुलना में विवाहित महिलाओं में लैंगिक भूमिकाओं के प्रति असमतावादी पर दृष्टिकोण था।

एजेन्सी (Agency) के विभिन्न आयाओं के बारे में युवा पुरुषों एवं महिलाओं के दृष्टिकोण में तीक्ष्ण अंतर पाया गया। युवा पुरुषों की तुलना में युवा महिलाओं की परिस्थिति अधिक प्रतिकूल थी। उदाहरण के लिए, सबसे ज्यादा शिक्षित युवा स्त्री की तुलना में सबसे कम शिक्षित युवा पुरुष भी, सर्वेक्षण में अन्वेषित सभी तीनों विषयों पर स्वतंत्र निर्णय ले सकते थे ऐसा उन्होने बताया। यद्यपि युवा महिलाओं ने युवा पुरुषों की तुलना में, पैसे बचाने की संभावना ज्यादा थी (44% एवं 22% क्रमशः) किन्तु उनके पास युवा पुरुषों की तुलना में बैंक

Percentage of youth allowed to visit selected places unescorted, Jharkhand, 2006

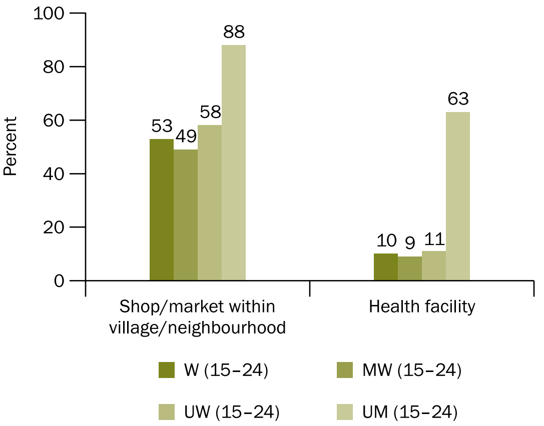

W=Women; MW=Married women; UW=Unmarried women; UM=Unmarried men;

Note: Questions regarding freedom of movement were not asked of married men, as their mobility is generally unrestricted

Percentage of youth who reported having any savings, owing an account in a bank or post office and operating the account themselves, Jharkhand, 2006

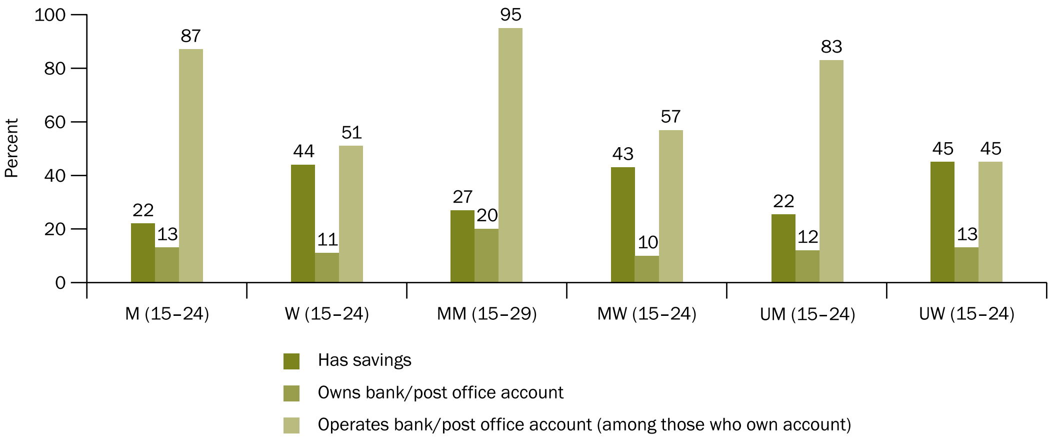

M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women

अथवा पोस्ट ऑफिस बचत खाता होने की संभावना कम थी (11% एवं 33% क्रमशः) इसके अतिरिक्त, उनमें अपने पुरुषों प्रतिरूपों की तुलना में खाते द्वारा स्वयं लेन देन करने की संभावना बहुत कम थी (51% बनाम 87% उनमें से जिनके पास कम से कम एक खाता था)।

यद्यपि युवा पुरुष युवा महिलाओं की तुलना में अच्छी परिस्थितियों में थे, परिणाम दर्शाते हैं कि युवा पुरुष भी दैनिक जीवन में सभी प्रकार के माध्यमों का प्रयोग नहीं कर पाते थे। उदाहरण के लिए केवल 59% युवा पुरुषों ने सर्वेक्षण में अन्वेषित

Percentage of youth who believed wife beating is justified in selected situations, Jharkhand, 2006

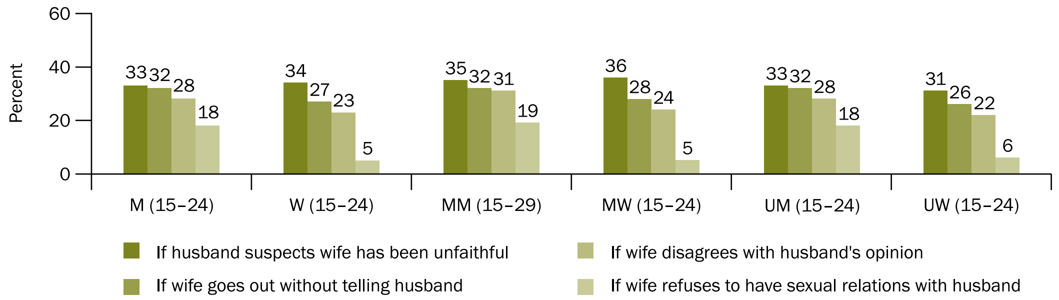

M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women

सभी तीन विषयों पर स्वतंत्र निर्णय लेने के बारे में बताया। इसी प्रकार, युवा पुरुषों को भी चुनिंदा स्थानो पर जाने की स्वतंत्रता भी सर्वव्यापी नहीं थी; उदाहरण के लिए पांच में से केवल दो अविवाहित पुरुषों को मनोरंजन के स्थानो या किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गांव या आस पड़ोस के बाहर, अकेले आने–जाने की अनुमति थी।

यद्यपि सर्वेक्षण में अन्वेषित कम से कम एक परिस्थिति में आधे युवा पुरुषों एवं महिलाओं ने पत्नी के साथ मारपीट को उचित ठहराया, अन्य अन्वेषित विषयों पर युवाओं के एक बड़े भाग ने लैंगिक भूमिकाओं के प्रति समतावादी दृष्टिकोण का समर्थन किया। यह ध्यान देने योग्य है कि इन विषयों पर युवा महिलाओं की अपेक्षा युवा पुरुषों में भूमिकाओं के प्रति असमतावादी दृष्टिकोण मिलने की संभावना सदैव ज्यादा पायी गयी।

Percentages of youth by awareness of HIV/AIDS, comprehensive knowledge about HIV/AIDS and awareness of STIs, Jharkhand, 2006

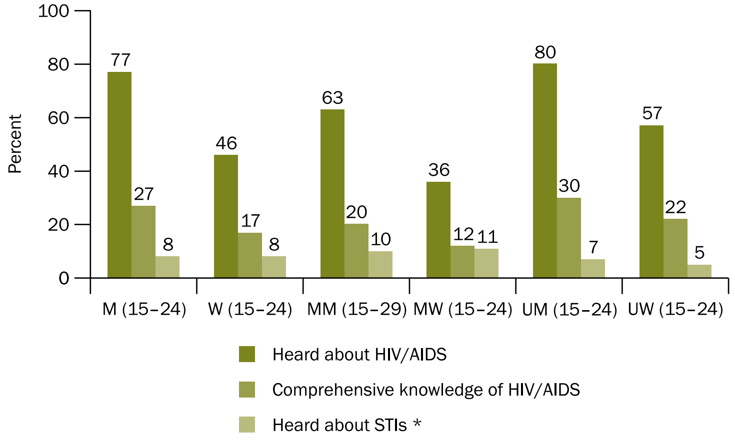

M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women

*Note: *Other than HIV*

लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य विषय संबंधित जानकारी

मोटे तौर पर वर्तमान अध्ययन के परिणाम युवाओं में लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंध सीमित जानकारी को रेखांकित करते है जिसमें गर्भधारण से लेकर गर्भनिरोध, एच आई वी एवं सुरक्षित यौन व्यवहार इत्यादि विषय है। उदाहरण के लिए, केवल एक – तिहाई युवाओं को पता था कि स्त्री प्रथम यौन संबंध से गर्भवती हो सकती है, केवल 77% युवा पुरुषों एवं 46% युवा महिलाओं ने एचआईवी/एडस के बारे में सुना था और केवल 8% युवाओं को एच आई वी के अलावा यौन संबंधो से प्रसारित होने वाले संक्रमण (STIs) की जानकारी थी। 10 में से एक युवा एवं अविवाहित युवा महिलाओं के संदर्भ में, सात में से एक को, किसी भी गर्भनिरोधक तरीके के बारे में जानकारी नहीं थी। इसी तरह विवाह से संबंधित कानूनी विषयों पर भी उनका ज्ञान सीमित था। 36% युवा पुरुष एवं 47% युवा महिलाएं यह

नहीं जानते थे कि भारत में स्त्रियों के विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी आयु 18 वर्ष है।

Percentage of youth who received family life or sex education, Jharkhand, 2006

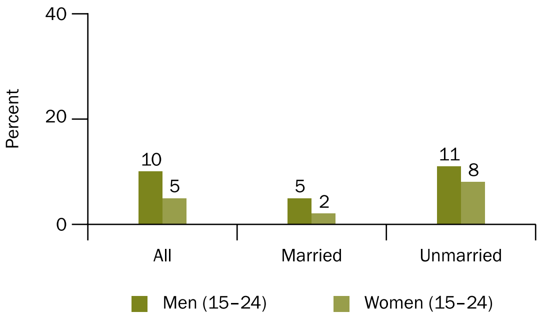

कुछ विषयों पर जिनपर प्रायः युवाओं में जानकारी होती है उनपर युवाओं में संपूर्ण जानकारी सीमित थी। उदाहरण के लिए, यद्यपि 89–90% युवाओं को कम से कम एक गर्भ निरोधक के विषय में जानकारी थी, परंतु केवल 68% एवं 31% युवा पुरुषों ने एवं 30% तथा 41% युवा महिलाओं ने क्रमशः कंडोम एवं खानेवाली गोलियां (जिनके बारे में युवाओं को ज्यादा जानकारी है) के बारे में बताया। इसी प्रकार केवल 27% युवा पुरुषों को एवं 17% युवा महिलाओं को ही एच आई वी की विस्तृत जानकारी थी। इसके अतिरिक्त, परिणाम यह भी दर्शाते है कि अविवाहित युवा महिलाओं में यौन एवं प्रजनन संबंधित विषयों पर जानकारी का सर्वाधिक अभाव था। जिसका अर्थ है कि अनेक युवा महिलाएं एवं कुछ युवा पुरुष इन विषयों से अनभिज्ञ ही वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते है।

युवा पुरुषों एवं महिलाओं दोनों ही के लिए, यौन विषयों पर जानकारी का मुख्य स्त्रोत मित्र एवं प्रचार संचार माध्यम थे। इसके विपरित कुछ युवाओं ने क्रमशः शिक्षक एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जानकारी का स्त्रोत बताया, तथा कुछ युवा पुरुषों एवं अपेक्षाकृत ज्यादा युवा महिलाओं ने परिवार के सदस्य को जानकारी का स्त्रोत बताया। इसी प्रकार उन युवाओं में जो कम से कम एक गर्भ निरोधक तरीके से अवगत थे, जानकारी के मुख्य वर्तमान स्रोतों में मित्र एवं प्रचार संचार माध्यम ही थे। पुनः शिक्षक एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता को विरले ही युवाओं ने सूचना का स्त्रोत बताया। वास्तव में, केवल पांच में से एक विवाहित युवा पुरुषों ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता को गर्भ निरोधक तरीके की जानकारी का महत्वपूर्ण स्त्रोत बताया, अविवाहित तथा विवाहित युवा महिलाओं में भी इनके द्वारा जानकारी प्राप्त करने की संभावना बहुत कम है इससे भी कम युवाओं ने शिक्षक को इस विषय पर जानकारी का स्त्रोत बताया। यद्यपि युवा महिलाओं के बडे भाग (42%) ने परिवार के किसी एक सदस्य को इस जानकारी का स्त्रोत बताया, इसके विपरीत बहुत कम युवा पुरुषों ने परिवार के किसी सदस्य को जानकारी का मुख्य स्त्रोत बताया। संक्षेप में यह भी कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शिक्षक एवं परिवार के सदस्य जो साथियों एवं प्रसार–संचार के माध्यम से ज्यादा विश्वसनीय स्त्रोत माने जाते है– यौन एवं गर्भ निरोधक विषयों पर, युवाओं द्वारा इन्हें बहुत की कम एवं असंगत रूप से सूचना का स्त्रोत बताया गया।

बहुत कम युवाओं ने विद्यालय के भीतर या बाहर पारिवारीक जीवन या यौन शिक्षा कार्यक्रम में भाग लिया था – 10 में से केवल एक युवा पुरुष एवं 20 में से केवल एक युवा महिला। इसके बावजूद युवाओं ने युवा लोगों को पारिवारीक जीवन या यौन–शिक्षा प्राप्त करने का पुरजोर समर्थन किया। आमतौर पर युवाओं का ऐसा मानना था कि इस तरह की शिक्षा किसी व्यावसायिक व्यक्ति द्वारा (स्वास्थ्यकर्ता एवं शिक्षक) दी जाए तो अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त, परिणाम यह भी दर्शाते है कि ऐसे युवा जिन्होने पारिवारिक जीवन या यौन शिक्षा नही ली उनकी तुलना में उन युवाओं में जिन्हें यह शिक्षा मिली उन्हें यौन एवं प्रजनन संबंधी विषयों में ज्यादा जानकारी थी।

विवाह पूर्व प्रेम संबंध

प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम प्रमाणित करते हैं कि विवाह–पूर्व स्त्री–पुरुष में मेलजोल पर सामाजिक प्रतिबंध होने के बावजूद, विवाह पूर्व प्रेम संबंध बनने के अवसर थे। वास्तव में, चार में से एक से ज्यादा युवा पुरुषों एवं महिलाओं ने प्रेम संबंधों

Percentage of youth reporting knowledge of selected sexual and reproductive health matters according to whether they had or had not received family life or sex education, Jharkhand, 2006

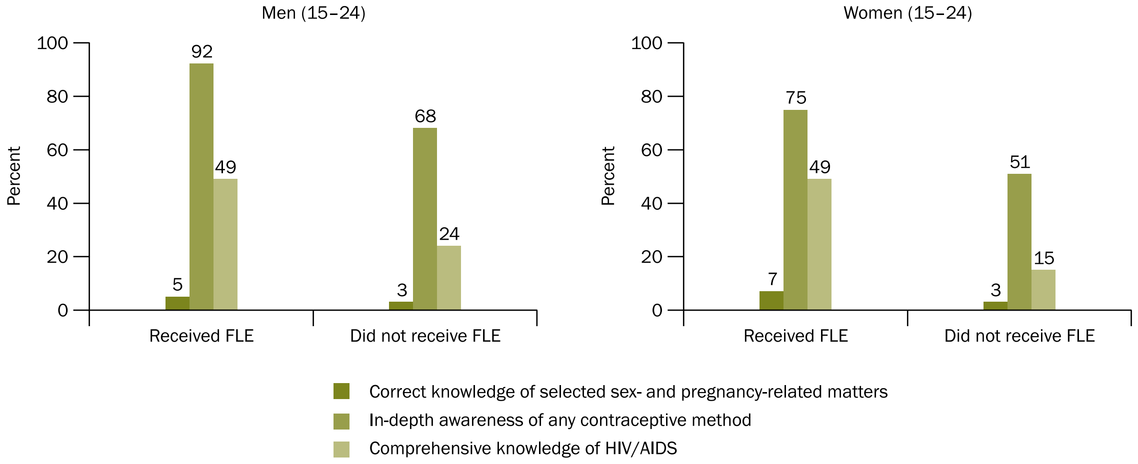

Note: FLE: Family life or sex education

के लिए प्रस्ताव (proposal) दिया या उन्हें प्रस्ताव मिला (27.28%)। इसी तरह पांच में से एक से ज्यादा युवा पुरुष एवं सात में से एक युवा महिला ने बताया कि उनके विवाहपूर्व प्रेम संबंध थे। विवाह–पूर्व प्रेम संबंधो के प्रारूप यह दर्शाते है कि ये साझेदारियां कैसे हुई, किस उम्र में आरंभ हुई, प्रायः यह अभिभावकों से छिपी हुई थी परंतु साथियों से नहीं। दीर्घकालीन वचनबद्धता की अपेक्षाओं में यह ध्यान देने योग्य अन्तर परिलक्षित होता है जो कि दर्शाता है कि युवा पुरुषों की तुलना में युवा महिलाएं प्रेम संबंध के विवाह में बदल जाने के लिए ज्यादा आशान्वित थी। इसके अतिरिक्त विवाहितो के अनुभव दर्शाते हैं कि अभिप्राय एवं वास्तविकता में बहुत अंतर था। उनमें से जो विवाह पूर्व साथी से विवाह के बारे में सोच रहे थे, केवल तीन चौथाई युवा महिलाओं एवं एक चौथाई युवा पुरुषों ने उनके साथ विवाह किया।

विवाह पूर्व होने वाले प्रेम संबंधो में साथी के साथ शारीरिक आत्मीयता एवं यौन अनुभव में स्पष्ट प्रगति देखी गयीः जबकि 90% से ज्यादा युवा पुरुषों ने साथी का हाथ पकड़ा, लगभग पांच में से दो ने अपने साथी के साथ यौन संबंध बनाये, युवा महिलाओं में जहां पांच मे से चार ने अपने साथी का हाथ पकडा वही पांच में से दो ने यौन संबंध बनाये। वर्तमान

Percentage of youth who had made or received a "proposal" for romantic partnership formation and percentage who had an opposite-sex romantic partner, Jharkhand, 2006

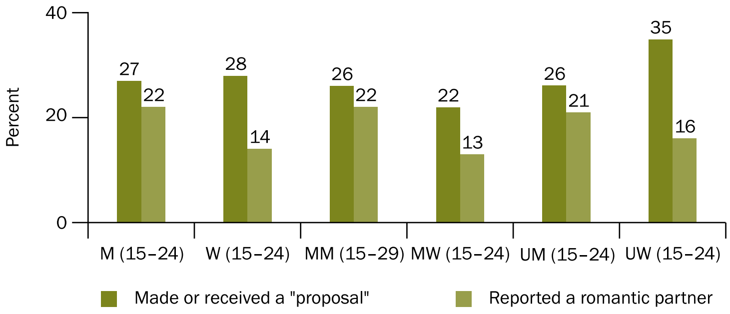

M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women

अध्ययन में युवा पुरुषों एवं युवा महिलाओ द्वारा विवाह पूर्व संबंधो में होने वाले यौन संबंधो में कोई खास अंतर नही पाया गया, जो कि पूर्व में की गयी अध्ययन के विपरीत है। युवाओं में सुरक्षित यौन संबंधो के बारे में साथी से संपर्क एवं उनके बीच बातचीत कभी कभार थी, और होने वाले अधिकांश यौन संबंध असुरक्षित थे। लगभग पांच में से एक युवा महिला जिनके विवाह पूर्व यौन संबंध थे, ने बताया कि उनके प्रेम साथी ने उन्हें पहली बार यौन संबंध उनकी सहमति के बिना किया।

विवाहपूर्व प्रेम एवं अन्य संबंधो में यौन अनुभव

कुल 17% युवा पुरुषों ने एवं 7% युवा महिलाओं ने प्रेम संबंध अथवा अन्य साथियों के साथ विवाहपूर्व यौन संबंध के अनुभवों के बारे में बताया। समान अनुपात के युवा पुरुषों एवं महिलाओं – क्रमशः 8% एवं 7% – ने 18 वर्ष की आयु से पूर्व पहला यौन संबंध बनाया था, यद्यपि शहरी युवाओं की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में विवाहपूर्व यौन संबंध जल्दी प्रारम्भ हो गये थे। इसके अतिरिक्त, जैसे–जैसे युवाओं का परागमन आरम्भिक किशोरावस्था से बाद के किशोरावस्था में होता गया, विवाह–पूर्व यौन क्रियाएं तेजी से बढ़ने लगी, तथा ये क्रियाएं यौवनावस्था में परिवर्तन के साथ और भी बढ़ी।

Percentage of youth reporting pre-marital sex, according to residence, Jharkhand, 2006

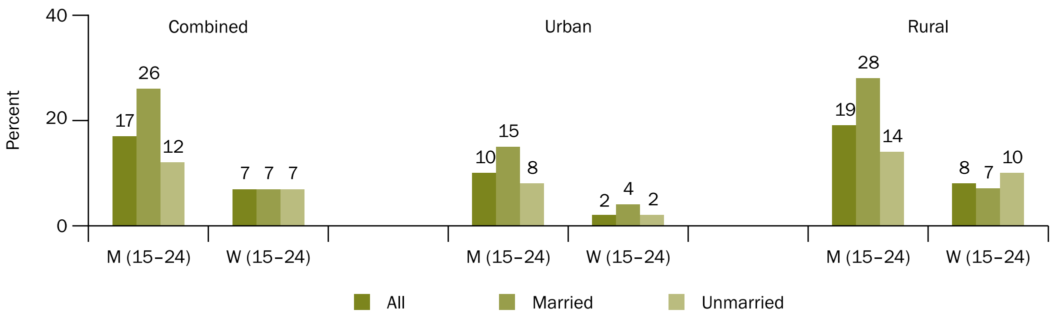

M=Men; W=Women

परिणाम दर्शाते हैं कि युवा महिलाओं के विपरीत युवा पुरुषों ने अन्य सन्दर्भों में भी यौन संबंध बनाए युवा पुरुषों द्वारा बताये गये अन्य साथियों में मुख्यतः सेक्स वर्कर, विवाहित महिलाएं एवं अनियत (casual) साथी शामिल थे। युवाओं द्वारा बताये गये अनेक विवाहपूर्व यौन संबंध जोखिम से भरे थे, उदाहरण के लिए एक चौथाई युवा पुरुष एवं एक तिहाई युवा महिलाओं ने एक से अधिक साथी के साथ यौन संबंधो में शामिल होने के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त लगातार कंडोम प्रयोग सीमित था – केवल 7% युवा पुरुषों एवं 2% – युवा महिलाओं ने सभी विवाह पूर्व यौन संबंधो में कंडोम प्रयोग के बारे में बताया।

हम जानते है कि युवा, विशेष रूप से युवा महिलाएं सर्वेक्षण के समय यौन अनुभव के विषय में सम्भवतः बताने में संकोच करती हैं। अतः इसके लिए वर्तमान अध्ययन के परिशिष्ट में सीधे प्रश्नों की शृंखला दी है जिसमें गुमनाम तरीके से यौन अनुभव के बारे में जानकारी देने का अवसर दिया गया है। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यौन रूप से सक्रिय महिलाओं के अपेक्षा युवा पुरुषों के एक बड़े भाग ने विवाह पूर्व यौन संबंध सिर्फ गुमनाम पत्र में ही सूचित किए। कुल मिलाकर आमने–सामने साक्षात्कार सहित गुमनाम पत्र में स्वयं दिये गये विवरण का आकलन करते है तो केवल आमने–सामने साक्षात्कार या तीसरे व्यक्ति द्वारा साथी के व्यवहार की अपेक्षा में युवा पुरुषों में यौन अनुभव अधिक पाया गया। यद्यपि युवा महिलाओं में केवल आमने–सामने साक्षात्कार सहित गुमनाम पत्र में स्वयं दिये गये विवरण तथा तीसरे व्यक्ति द्वारा दर्ज विवाह पूर्व यौन संबंधो के आकलन लगभग समान थे।

विवाह में परागमन एवं आरम्भिक वैवाहिक जीवनः

युवा अध्ययन के अनुसार यद्यपि ज्यादातर युवा 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह करना पसंद करते थे, कुछ ही युवा महिलाओं ने 18 वर्ष से पूर्व विवाह करने की इच्छा व्यक्त की जो इस परिदृश्य में भी युवाओं में बाल विवाह के मानदण्डों को बढ़ावा दिये जाने की तरफ संकेत करता है। यह तथ्य पुनः सामने आता है कि शीघ्र विवाह अनेक युवा महिलाओं के जीवन को चिन्हित करता रहा है, परिणाम दर्शाते हैं कि 20–24 वर्ष की आयु की युवा महिलाओं में चार में से कम से कम एक का विवाह 15 वर्ष की आयु से पहले, पांच में से तीन का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले तथा चार में से तीन का विवाह 20 वर्ष की आयु से पहले हो गया था। यद्यपि युवा पुरुषों में कम उम्र में विवाह कम प्रचलित था, फिर भी 20–24 वर्ष की आयु के युवा पुरुषों में से दस में से एक का विवाह 18 वर्ष से पूर्व तथा चार में से एक का विवाह 20 वर्ष की आयु के पूर्व हो गया था।

Percentage of youth aged 20-24 who were married before selected ages, Jharkhand, 2006

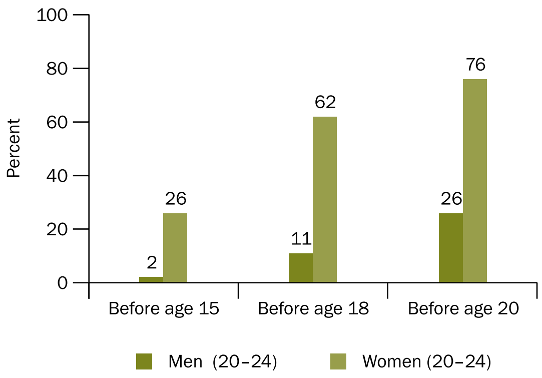

यद्यपि ना केवल विवाह कम उम्र में हुए बल्कि प्रायः युवाओं विशेष, रूप से युवा महिलाओं की सहभागिता के बिना ही अभिभावकों द्वारा तय कर दिये गये। लगभग सभी युवाओं ने अभिभावकों द्वारा तय किये गये विवाह के बारे में बताया। आठ में से कम से कम एक युवा पुरुष तथा पांच में से दो युवा महिलाओं ने बताया कि उनके अभिभावकों ने उनका वैवाहिक साथी चुनते वक्त उनसे विचार विमर्श नहीं किया। अतः यह आश्चर्यजनक नही है की युवाओं ने विवाह पूर्व जान पहचान के बारे में बहुत कम बताया। सात में से केवल एक युवा ने बताया कि विवाह पूर्व उन्हें अपने होने वाले पति/पत्नी से मिलने एवं बातचीत करने का अवसर मिला था। लगभग पांच में से चार विवाहित युवाओं ने बताया कि वे अपने पति/पत्नी से पहली बार उनके विवाह के दिन ही मिले थे। दो–तिहाई युवा पुरुषों एवं तीन चौथाई युवा महिलाओं ने बताया कि विवाह पूर्व जान–पहचान के अभाव के साथ–साथ वैवाहिक जीवन से क्या अपेक्षाएं होती है इस जानकारी का भी अभाव था।

दहेज प्रथा के विरूद्ध कानून होने के बावजूद यह प्रथा दो तिहाई से अधिक युवा पुरुषों एवं महिलाओं के विवाह में पायी गयी। परिणाम दर्शाते है कि ग्रामीण प्रतिरूपों के तुलना में शहरी युवाओं के परिवार द्वारा दहेज जैसी पारम्परिक रीतियों को मानने की संभावना कम नहीं थी।

वैवाहिक जीवन के विवरण दर्शाते हैं कि पति–पत्नी के बीच संवाद की अत्यन्त कमी थी तथा वैवाहिक जीवन में हिंसा के स्पष्ट चिन्ह थे। उदाहरण के लिए, पांच में से सिर्फ तीन महिलाओं एवं एक–तिहाई युवा पुरुषों ने गर्भनिरोध तरीकों के प्रयोग पर युगल जोडों के बीच संवाद के बारे में बताया जो कि विवाहित युवा लोगों में सुरक्षित यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी आदतों को अपनाने की क्षमता को कमजोर करता है। युवाओं के बडे समूह ने शारीरिक हिंसा एवं वैवहिक जीवन में जबरदस्ती यौन संबंध बनाये जाने के बारे में बताया। उदाहरण के लिए, एक–चौथाई से ज्यादा युवा महिलाओं ने बताया कि उन्होने कभी न कभी अपने पति द्वारा किये गये शारीरिक अत्याचार का सामना किया था तथा लगभग समान प्रतिशत के युवा पुरुषों ने अपनी पत्नी पर किये गये अत्याचार के बारे में बताया। इसी प्रकार हाल ही में हुई हिंसा के बारे में पांच में से एक युवा महिलाओं एवं पुरुषों ने बताया। यौन हिंसा भी दर्ज की गयी। वास्तव में, एक–तिहाई से ज्यादा युवा महिलाओं ने बताया कि वैवाहिक जीवन में पहला यौन अनुभव उन पर दबाव डाल कर बनाया गया था। कुल,

पांच में से दो युवा महिलाओं ने बताया कि उन्हें अपने पति द्वारा यौन संबंध बनाने के लिऐ कभी न कभी बाध्य किया गया था, कम से कम चार में से एक युवा पुरुष ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी को यौन संबंध बनाने के लिए बाध्य किया था। हाल ही में किया गया यौन अत्याचार पांच में से एक महिलाओं द्वारा अनुभव किया गया तथा लगभग 10 में से एक युवा पुरुषों ने ऐसा व्यवहार किया।

Percentage of married young women reporting experience of physical and sexual violence perpetrated by their husband and percentage of married young men reporting perpetration of physical and sexual violence against their wife, Jharkhand, 2006

MM=Married men; MW=Married women

यद्यपि वर्तमान अध्ययन में विवाहोत्तर यौन संबंधो/अनुभवों का विस्तृत विश्लेषण नहीं किया गया, तथापि उपलब्ध आंकडे दर्शाते है कि 2% युवा पुरुषों ने विवाहोत्तर यौन संबंधों के बारे में बताया। इसके विपतरीत, युवा महिलाओं में मुश्किल से किसी ने विवाहोत्तर यौन संबंधो के विषय में बताया।

गर्भनिरोधकों का उपयोग एवं गर्भावस्था के अनुभव

वैवाहिक जीवन के दौरान गर्भ निरोधकों का प्रयोग सीमित था, 22% युवा पुरुषों एवं 24% युवा महिलाओं द्वारा बताया गया। इसके अतिरिक्त केवल 13% युवा पुरुषों एवं 17% युवा महिलाओं ने बताया कि वह सर्वेक्षण के समय किसी भी गर्भनिरोधक साधन का इस्तेमाल कर रहे थे। गर्भनिरोधको में, विशेषरूप से खाने वाली गोलियों एवं कंडोम के बारे में सबसे ज्यादा बताने की संभावना थी, यद्यपि कुछ महिलाएं साक्षात्कार से पहले की बंधीकरण करवा चुकी थी। कुछ ही युवाओं ने गर्भ निरोधकों का उपयोग पहली संतान विलम्ब से करने के लिए किया – केवल 12% युवा पुरुषों ने एवं 5% युवा महिलाओं ने यह अप्रत्याशित नहीं है कि आधी युवा महिलाएं एवं पुरुष जिन्होने बताया कि वह या उनकी पत्नीयाँ कम से कम एक बार गर्भवती हो चुकी थी, उन्हें विवाह के एक वर्ष के अन्दर ही गर्भधारण हो गया था। इसके अतिरिक्त युवाओं के बड़े भाग ने अनियोजित गर्भधारण करने के अनुभव के बारे में बताया। उदाहरण के लिए क्रमशः 31% एवं 24% युवा महिलाओं ने जो कि साक्षात्कार के समय गर्भवती नहीं थी तथा युवा पुरुषों ने जिनकी पत्नी साक्षात्कार के समय गर्भवती नहीं थी, ने बताया कि उनकी पिछली गर्भावस्था असमय या अवांछित थी।

प्रथम जन्म के संदर्भ की जानकारी दर्शाती है कि संस्थागत प्रसूति एवं प्रसूति के समय कुशल परिचारक (skilled attendence) सीमित थी, प्रथम जन्म के केवल 23–24% की प्रसूति कुशल परिचारक द्वारा कि गयी थी।

Percentage of married youth reporting lifetime and current use of contraceptive methods within marriage, Jharkhand, 2006

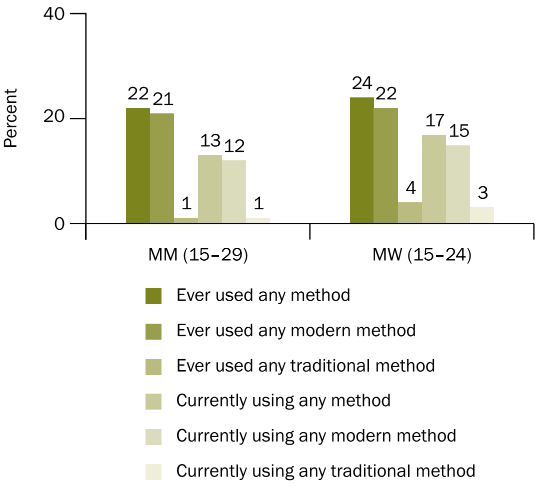

MM=Married men; MW=Married women

परिणाम यह भी दर्शाते है कि यद्यपि युवा दोनो ही लिंग का एक–एक बच्चा चाहते थे, किन्तु पुत्र पाने की वरीयता स्पष्ट थी। एक तिहाई से ज्यादा युवा उत्तरदाता पुत्रियों की अपेक्षा ज्याद पुत्रों का होना पसंद करते थे। इसके विपरीत केवल 3–6% ने पुत्रो की अपेक्षा ज्यादा पुत्रियों की इच्छा प्रकट की थी।

मादक पदार्थो का प्रयोग

अध्ययन के अनुसार युवा पुरुषों के एक बडे भाग ने तंबाकू एवं शराब के सेवन के बारे में बताया, पांच में से दो युवा पुरुषों ने तम्बाकू के सेवन एवं पांच में से एक से ज्यादा युवा पुरुषों ने शराब के सेवन के बारे में बताया। मादक पदार्थों का प्रयोग 2% से कम युवा पुरुषों द्वारा बताया गया। बहुत कम युवा महिलाओं ने इनमें से किसी भी पदार्थ के सेवन के बारे में बताया।

स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति व्यवहार

यद्यपि युवावस्था जीवन का एक सबसे स्वस्थ्य समय होता है, फिर भी कुछ युवाओं ने साक्षात्कार से पहले सामान्य मानसिक, यौन व प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के अनुभव के बारे में बताया। उदहारणतया, 17% युवा पुरुषों ने एवं 26% युवा महिलाओं ने तेज बुखार तथा क्रमशः 12% एवं 17% ने प्रजनन संबंधी संक्रमण के लक्षणों का अनुभव किया था। इसके अतिरिक्त, लगभग आठ में से एक महिला ने मासिक धर्म से संबंधित समस्या के बारे में बताया, वही पांच में से एक युवा पुरुष ने स्वप्नदोष के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। अंततः प्रतिक्रियायें यह दर्शाती हैं कि 28% युवा पुरुषों एवं 19% युवा महिलाओं द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां सूचित की गयी थी।

सामान्य एवं यौन व प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सुविधाओं के उपयोग के बारे में विविधता उनके द्वारा अनुभव की गयी समस्या के प्रकार के अनुसार पायी गयी। उदाहरण के तौर पर जिन्होने तेज बुखार का अनुभव किया था उनमें से अधिकांश को सुविधायें प्राप्त हुई। अत्यंत सीमीत युवाओं ने यौन एवं प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए स्वास्थ्य सुविधायें प्राप्त की। परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा युवा महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की उपचार की प्रवृत्ति काफी कम थी। उनकी यह प्रवृत्ति उनके द्वारा अनुभव किये समस्याओं के प्रभाव पर निर्भर नहीं थी। उनमें से जिन्होने कोई उपचार करवाया था, मुख्यतया लोगों ने गैर–सरकारी सुविधाओं में सलाह अथवा उपचार करवाया। फिर भी, यह ध्यान देने योग्य है कि एक–चौथाई युवाओं जिन्होने गुप्तांगो में संक्रमण या मासिक धर्म संबंधी परेशानी के लिए उपचार करवाया था – उन्होंन घरेलू उपचार, पारम्पारिक तरीकों या फिर अप्रशिक्षित लोगों से सलाह ली। इसके अलावा, युवा पुरुषों ने शायद ही स्वप्नदोष (nocturnal emission) से संबंधित व्याकुलता के संदर्भ में स्वास्थ्य कार्यकर्ता से सलाह लेने के बजाय हम उम्र लोगो से सलाह लेना अधिक पसंद किया।

परिणाम यह बताते हैं कि युवा वर्ग लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी सहायता लेने में संकोच करते थे। उदाहरणतया, कई युवाओं, (विवाहितों को मिलाकर) ने यह बताया कि वह स्वास्थ्य संबंधी कार्यकर्ता या अस्पताल अथवा दवा की दुकानो से गर्भनिरोधक लेने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। अंततः कुछ ही (1–2%) युवओं ने बताया कि उन्होने कभी भी एच

आई वी (HIV) के लिए परिक्षण करवाया था। हाँलाकि, अत्याधिक रूप से युवा विवाह के पूर्व एच आई वी (HIV) परिक्षण करवाने के पक्ष में थे।

नागरिक एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता

प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम नागरिक एवं राजनीतिक जीवन में युवाओं के सीमित सहभागिता को संकेत करते है। हाँलांकि सामुदायिक स्तर पर कुछ कार्यक्रम आयोजित किये गये थे जिनमें युवा भाग ले सके, लेकिन कुछ युवाओं (10–12%) ने ही इस बारे में अपनी जानकारी सूचित की। यहां तक कि केवल कुछ ही युवाओं, 6%, युवक तथा 3%, युवतियों ने इस प्रकार के कार्यक्रमों में कभी भी भाग लिया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि उन्होने सामुदायिक स्तर पर आयोजित कुछ कार्यक्रमों जैसे कि सड़क की सफाई, त्यौहारो तथा राष्ट्रीय पर्वो में भाग लिया। अंततः, केवल 9% युवा पुरुषों तथा 4% युवा महिलाओं ने यह बताया कि वे किसी भी संगठित समूह के सदस्य है।

Percentage of youth aged 20 or above who voted in last election, Jharkhand, 2006

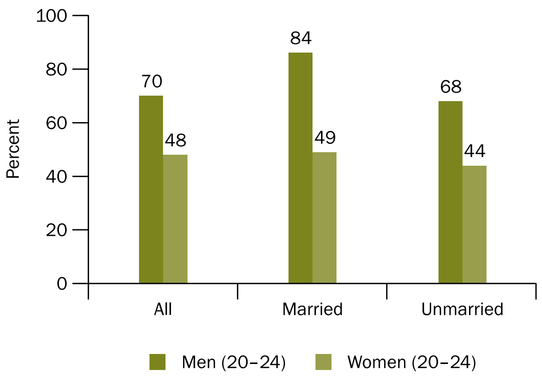

राजनीतिक गतिविधियों में भी युवाओं की सहभागिता सार्वभौमिक (एक समान) नहीं थी। वह व्यक्ति जो मतदान के योग्य थे, उनमें से केवल 70% युवा पुरुषों तथा 48% युवा महिलाओं ने पिछले चुनाव में मतदान किया। यद्यपि ज्यादातर युवाओं ने यह माना कि उनके क्षेत्र में मतदान स्वतंत्र रूप से तथा बिना भय के एवं दबाव के किया जा सकता है फिर भी 19% युवा पुरुषों तथा 14% युवा महिलाओं ने यह बताया कि स्वतंत्र रूप से मतदान करना उनके क्षेत्र में संभव नहीं हैं। इसके विपरीत, 63% युवा पुरुषों तथा 41% युवा महिलओं ने राजनीतिक पार्टियों द्वारा सामुदायिक स्तर पर कार्य करके बदलाव लाने का वायदा कर उन्हें भ्रम में डालने की बात कही।

धर्म निरपेक्ष व्यवहार की अभिव्यक्ति में भी विविधता पायी गयी। 90% से ज्यादा युवा पुरुषों तथा 80% से ज्यादा युवा महिलओं ने विभिन्न धर्म एवं जाति के लोगों के साथ स्वतंत्र रूप से मिलने की बात कही। फिर भी, केवल 63% युवा पुरुषों और 45% युवा महिलाओं ने बताया कि वह अन्य धर्म एवं जाति के लोगों के साथ भोजन कर सकेंगे, 40% से भी कम ने अर्न्तजातीय विवाह किये हुए व्यक्ति से बात कर सकेंगे एवं 29% युवा पुरुषों तथा पांच में दो युवा महिलाओं ने इस बात को माना कि ऐसे व्यक्ति को जिन्होने उनके धर्म के प्रति अनादर का भाव दिखाया हो, उन्हें दण्ड देने के बजाय माफ करना ही उचित है।

अत्यधिक अनुपात में युवा पुरुषों तथा महिलाओं ने यह माना कि उनके गांव के या आस पडोस के युवा पुरुषों एवं युवा महिलओं के बीच कोई भी लड़ाई झगडा नहीं होता है। लगभग पांच में से एक युवा पुरुष तथा 4% युवा महिलाओं ने यह बताया कि साक्षात्कार के पिछले एक वर्ष में किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े में भागीदारी की है।

युवा पुरुष तथा युवा महिला मुख्य रूप से चार समस्याओं–बेरोजगारी, गरीबी, संसाधनो की अनुपलब्धता तथा शैक्षणिक अवसरों की कमी–का सामना कर रहे थे। फिर भी युवाओं द्वारा महसूस करी जा रही समस्याओं के बारे में विचार युवा पुरुषों एवं युवा महिलाओं में अलग अलग थे। युवा पुरुषों ने मुख्य समस्या बेरोजगारी बतायी। सामान्यतया गरीबी, सुविधाओं में कमी तथा सीमित शैक्षणिक अवसर युवकों द्वारा बताई गई अन्य मुख्य समस्यायें थी। इसके विपरित युवा महिलाओं द्वारा

मुख्यतया मूलभूत सुविधाओं की कमी तथा कुछ हद तक गरीबी, रोजगारी एवं शैक्षणिक अवसरों में कमी भी व्यक्त की गयी।

कार्यक्रमों के लिए अनुमोदन/सिफारिश

उपरोक्त विश्लेषण इस बात को दर्शाते है कि प्रौढावस्था के तरफ बढ़ते समय युवा नई चुनौतियों का सामना करते हैं। ये चुनौतियां युवाओं, उनके परिवार तथा सुविधायें उपलब्ध कराने के स्तर वाले कार्यक्रमों में सुधार की मॉग करती हैं। इस अध्ययन से आये हुए मुख्य अनुमोदन (सिफारिशें) नीचे चिन्हित किये गये है

सार्वत्रिक शैक्षणिक पंजीकरण को प्राप्त करने तथा शिक्षा पूर्ति के स्तर को बढ़ाने के प्रयास का मजबूत करना

युवा अध्ययन के परिणाम यह दर्शाते है कि राज्य में युवाओं का विद्यालयों में पंजीकरण सार्वत्रिक स्तर से काफी कम था तथा विशेष रूप से युवा महिलाओं में शिक्षा पूर्ति के दर में भी आपेक्षिक रूप से कमी पायी गयी। झारखंड युवा नीति सार्वत्रिक शैक्षणिक पंजीकरण की आवश्यकता को स्पष्ट कर चुकी है तथा हाल ही में लाये गये 'शिक्षा का अधिकार' विधेयक में बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की जा चुकी है। अगर राज्य अभी स्रहशताब्दी विकास लक्ष्य के अर्न्तगत सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षा पूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो विशेष रूप से इन वचनबद्ध कार्यक्रमों को लागू करना जरूरी है। हालाँकि सार्वत्रिक शैक्षणिक पंजीकरण तथा प्राथमिक विद्यालय तक की शिक्षा पूरी करना इन कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य है, फिर भी यह आवश्यक है कि युवाओं के प्रौढ़ावस्था में परागमन को सफल बनाने हेतु उच्चतर शिक्षा की महत्ता को दर्शाया जाए तथा इसे पूरा करते समय युवाओं को आनेवाली कठिनाइयों से निपटने के लिए सर्मथ बनाया जाए। शैक्षणिक पंजीकरण एवं पूर्ति में पायी गई लैंगिक एवं ग्रामीण–शहरी विभाजन, लड़कियों एवं ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए विशेष प्रयासों की मांग करती है।

राज्य में शैक्षणिक पंजीकरण एवं पूर्ति के मार्ग में आने वाले अवरोधों को रोकने के लिए बहुत ही वृहद रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप, उन आर्थिक दबावों से अगत होने की जरूरत है जो माता–पिता द्वारा उनके बच्चों को विद्यालय में पंजीकृत कराने तथा जो पहले से ही पंजीकृत है उन्हें विद्यालय से निकालने के लिए प्रेरित करते है। उन परिस्थितिक एवं लाक्षित अनुदानों पर ध्यान देना होगा जो निम्न वर्ग के लोगों में शैक्षणिक पंजीकरण एवं पूर्ति को बढ़ावा देते है। इसके साथ ही उन प्रयासो की भी आवश्यकता है जो माता–पिता को शिक्षा एवं पूर्ति से संबंधित सकरात्मक सोच को बढ़ावा दें, माता–पिता में उनके बच्चों को पढाने की इच्छा को बढ़ाये एंव बच्चों की शिक्षा में माता–पिता के अधिकाधिक योगदान को प्रोत्साहित करें। विद्यालय संबंधी कारकों (घटकों) पर ध्यान देना जरूरी है। विघालय की दूरी, खराब व्यवस्था एवं पढ़ाई की गुणवत्ता तथा शैक्षणिक असफलता जैसे अवरोधकों पर भी ध्यान देना जरूरी है। राज्य सरकार ने बहुत सारी योजनायें इन अवरोधकों को ध्यान में रखते हुए बनायी है (उदाहरण के तौर पर लड़कियों के लिए साईकिल योजना), फिर भी यह जरूरी है कि इन योजनाओं की उपयोगिता का उचित मुल्यांकन किया जाए तथा प्रभावशाली अनुभवों को आत्मसात करके प्रोत्साहित किया जाए।

विद्यालय स्तर पर आजीविका संबंधी कौशल्य का निर्माण करने विद्यालय में रोजगारपरक अवसर प्रदान करने वाले कौशल्य को भी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। यह प्रयास युवाओं में शिक्षा एवं जीवनचर्या संबंधित आकांक्षाओं को बढ़ावा देगी। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आर्थिक पूंजी निवेश की भी आवश्यकता है जो शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण एवं उनके उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करेगी। इसे ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारे युवाओं ने यह बताया कि उनकी शिक्षा में अवरोध, उनके घरेलू कार्यों/व्यवसाय में उनकी आवश्यकता के कारण हुआ था, यह भी जरूरी है विद्यालय

के समय को उनकी जरूरत के अनुकूल बनाया जाए, संध्याकालीन विद्यालय विकसित किये जाए तथा बच्चों को बिना पढ़ाई छोडे उनके वचनबद्ध कार्यों को करने के लिए शामिल किया जाए।

परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि युवतियों की कम उम्र में विवाह उनके विद्यालय छोडने का एक प्रमुख कारण है। यह निष्कर्ष इस बात पर जोर देते है कि शिक्षा वर्ग के अलावा भी अन्य कार्यक्रमों की सार्वत्रिक शिक्षा पंजीकरण एवं उसकी पूर्ति के लिए वचनबद्धता जरूरी है। विशेषतया उन कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो विवाह से संबंधित मानकों की समालोचनात्मक रूप से जांच करें तथा कम उम्र में विवाह की प्रथा को दूर करें। लड़कियों को विद्यालय में बनाये रखने एवं उनके विवाह को विलम्ब करने के लिए आर्थिक सहायता के अवसरों की खोज एवं नकद स्थानान्तरण (cash transfer) की जरूरत है। इसके अलावा परिणाम यह भी दर्शाते है कि ज्यादातर विवाहित युवा महिलायें विद्यालय की शिक्षा पूरी करने से वंचित रह जाती है। युवा विवाहित महिलाओं को दुबारा बुनियादि शिक्षा प्राप्त करायें, ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

युवाओं में रोजगार को बढावा देने के लिए आर्थिक निवेश

युवा अध्ययन के परिणाम यह दर्शातें हैं कि काफी युवा कम उम्र में ही कार्य करना शुरू कर दिये थे। यह उपर वर्णित उन युवाओं जिनके पास सुविधाओं की कमी है उन्हें लाक्ष्यित आर्थिक सहायता देने पर बार बार जोर देती है जिससे कि अभिभावकों को उनके बच्चों के लिए कार्य के बजाय पढ़ाई चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके साथ ही अध्ययन के निष्कर्ष राज्य को उन कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए आर्थिक सहायता की मांग करती है जो कि युवाओं को इस योग्य बना सकें कि वह अपने कार्य संबंधी दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वाहन कर सकें क्योंकि जिन रोजगारों की बाजार में माँग थी, युवा उसके लिए पूरी तरह से तैयार नही थे– कुछ युवाओं ने ही उच्चतर शिक्षा तक की पढ़ाई पूरी की थी अपितु कुछ ही व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। वह युवा जो कार्य कर रहे थे उनमें से ज्यादातर खेती या उसके अलावा अप्रशिक्षित कार्यों में व्यस्त थे जबकि ज्यादातर शिक्षित युवा बेरोजगार थे। रोजगारपरक योग्यताओं में बढ़ोतरी काफी हद तक उपर चर्चित शिक्षा प्राप्त करने संबंधी सुधारों पर निर्भर करेगा। यह युवाओं को व्यवहारिक गुणों को सिखाने के लिए आवश्यक आर्थिक निवेश की भी मांग की तरफ इशारा करता है। उन औपचारिक तरीकों का जोर देकर विकास करना चाहिए जो युवाओं को उन क्षेत्रों में प्रवीणता (कुशलता) अर्जित करने का अवसर प्रदान कर सके जिनकी बहुल्यता में मांग हो तथा जो योग्य युवाओं को उपलब्ध अवसरों से जोड़ती हों। ये प्रयास विभिन्न जीविकोपार्जन संबंधी योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार एवं गैरसरकारी व्यवसायिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। उदाहरणस्वरूप, युवाओं को साधारण ऋण देकर उन्हें स्वव्यसाय को स्थापित करने योग्य बनाना। यह भी जरूरी है कि उन कार्यक्रमों को जो रोजगार दिलाने के लिए पहले से ही अस्तित्व में है, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए कि वे वास्तव में युवाओं तक पहुचते है और युवा महिलाओं के रोजगार से संबंधित आवश्यकताओं पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि नहीं।

युवा ऐजन्सी एवं युवाओं में स्त्री–पुरुष संबंधी विभाजन को एक समान बनाने वाले मानको को बढ़ावा देना

इस विवरण में प्रदर्शित परिणाम युवा महिलाओं के सीमित एजेन्सी (agency) एवं युवाओं में व्याप्त स्त्री–पुरुष संबंधी दोहरे मानकों को चिन्हित करके स्त्री–पुरुष असमानता संबंधी मानकों एवं व्यवहारों जो युवा महिलाओं, युवा पुरुषों, उनके परिवार, समुदाय, शिक्षा, कार्य एवं स्वास्थ्य के तरफ प्रेरित हो – को बढ़ावा देने के लिए बहुमुखी योजनाओं की मांग करती है। इसके साथ ही उन कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर देती है जो युवा महिलाओं, विवाहित व अविवाहित दोनों, तथा उन युवा पुरुषों को जो इन संस्थानो को दैनिक जीवन में उपयोग में नहीं ला सके, उनके जीवन को कुशल बनाने वाली शिक्षा को बढ़ावा देते है।

औपचारिक बचत के अवसर, विशेषतया युवा महिलाओं को, प्रदान करना

ऐसे युवा जिनका अपना कोई खाता था, उनमें ऐसी युवा महिलाओं की संख्या युवा पुरुषों की तुलना में काफी कम थी, जो कि स्वतन्त्र रूप से अपने खाते का संचालन करती थी। यह परिणाम उन कार्यक्रमों की मांग करता है जो युवा पुरुष एंव महिलाओं दोनो में ही बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे तथा उन्हें ऐसा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करे, खासकर उनके लिए जो कम एवं अनियमित बचत करते हैं। इसके साथ ही ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो युवा महिलाओं में बचत करने में आनेवाली बाधाओं को दूर करें तथा उनके द्वारा की गयी बचत पर उनका स्वयं का नियंत्रण हो यह सुनिश्चित करें।

नागरीक एवं राजनीतिक गतिविधियों में युवाओं की सहभागिता को बढ़ावा देना तथा धर्म–निरपेक्ष व्यवहार को प्रबल बनाना

परिणाम यह दर्शाते है कि झारखंड में युवाओं के लिए नागरिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित होने के सीमित अवसर थे तथा उनमें धर्म निरपेक्ष व्यवहार एक समान रूप से नही पाया गया। राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम, खेल एवं अन्य अनौपचारिक माध्यमों के द्वारा विद्यालय, कालेज एवं सामुदायिक स्तर पर उन कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो समाज में युवाओं की सहभागिता को बढ़ावा दें, गुणवत्ता बढ़ाने वाले घटकों को सम्मिलित करें, एवं धर्मनिरपेक्ष व्यवहार को प्रबल बनायें तथा युवाओं को ज्यादा महत्व दे जो एक जिम्मेदार नागरिक बनने के पक्ष में हों।

विद्यालय जाने वाले एवं विद्यालय छोड़ चुके हुए लोगों के लिए पारिवारीक जीवन अथवा यौन शिक्षा प्रदान करना

युवाओं पर आधारित प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम में यह पाया गया कि युवाओं में यौन एवं प्रजनन संबंधी विषयों पर सीमित समझ थी। उनमें इन विषयों पर अधिक जानकारी की मांग तथा युवाओं का एक महत्वपूर्ण वर्ग जो असुरक्षित यौन संबंध में संलग्न था उनके लिए इस बात पर ध्यान आकर्षित करती है कि विद्यार्थियों हेतु विद्यालय आधारित पारीवारिक जीवन अथवा यौन शिक्षा एवं उनके लिए जो विद्यालय छोड़ चुके हैं, युवाओं हेतु सामुदायिक विशेषज्ञों द्वारा आधारित शिक्षा प्रदान की जाए। इन कार्यक्रमों में युवाओं को यौन एवं प्रजनन संबंधी विषयों एवं अधिकारों की जानकारी प्रदान करनी चाहिए। इसके साथ ही युवाओं को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे यौन एवं प्रजनन संबंधी खतरों को सही तरीके से समझे एवं उससे बचाव के तरीकों को अपनायें। साथ ही साथ निर्देशकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान देना होगा। अंततः, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि, यद्यपि मीडिया एक बड़ा परंतु अनिवार्यतः युवाओं के लिए यौन एवं प्रजनन संबंधी जानकारी का स्रोत नहीं हो सकता, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए कि मीडिया के द्वारा प्रदत्त विषयवस्तु स्पष्ट, विस्तृत एवं सही हो।

सुनिश्चित करना कि यौन जीवन में परागमन सुरक्षित एवं वांछित हो

यह परिणाम की युवक एवं कुछ युवतियां विवाह पूर्व ही यौन संबंध में संलग्न थी, और यह कि उनमें से काफी युवाओं के लिए यह अनुभव असूचित, असुरक्षित, एवं अवांछनीय था, युवाओं के यौन एंव प्रजनन संबंधी जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता एवं उनमें सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने की क्षमता उत्पन्न करने एवं यौन व प्रजनन संबंधी विषयों पर बातचीत करने हेतु प्रेरित करने पर जोर देती है। इसके साथ ही कार्यक्रमों को इस प्रकार से बनाना चाहिए जिससे कि विवाहित एवं अविवाहित युवाओं को उनके आवश्यकता के अनुसार परिवार नियोजन एवं संक्रमण की रोकथाम के लिए उपयुक्त सुविधायें उपलब्ध करायी जा सके।

कम उम्र में विवाह की प्रथा को खत्म करने के प्रयास में तेजी लाना

विवाह को विलम्ब से कराने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। परिणाम दर्शाते हैं कि बाल–विवाह की परंपरागत एवं सांस्कृतिक प्रथा युवाओं में भी काफी दृढ़ है तथा कम उम्र में विवाह करने का प्रचलन ना केवल युवा महिलाओं बल्कि कुछ युवा पुरुषों में भी हैं। यह निष्कर्ष उन उपायों की मांग करता है जो कि केवल इससे संबंधित जानकारी प्रदान करने वाले कार्यक्रमों से परे हो और कम उम्र में विवाह कराने वाले कारकों– सामाजिक रीतिरिवाज एवं आर्थिक बाध्यता – को चिन्हित करती हो। उन कुशल योजनाओं की भी आवश्यकता है जो समुदाय के लोगों द्वारा माता–पिता की तरफ से दिये जाने वाले उन दबावों को रोकने के लिए प्रेरित हो जो कम उम्र में विवाह को बढ़ावा देती हैं। जो नयी प्रथा एवं नये व्यवहारों को बढ़ावा देती हो और साथ ही उन कार्यक्रमों को उजागर करती है जो कम उम्र में विवाह के दुष्परिणाम एवं उससे होने वाले बच्चों के अधिकारों के हनन को दर्शाती है। सामुदायिक स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों में युवाओं, उनके परिवार के सदस्यों, समुदाय के प्रभावी सदस्यों, तथा साथ में धार्मिक एवं राजनितिक नेताओं को भी शामिल करना चाहिए। समान रूप से यह भी आवश्यक है कि नियमों को लागू करने वाले संगठनो को विवाह के न्यूनतम आयु एवं वैवाहिक पंजीकरण के नियमों की आधिकारिक रूप से पालन कराने के लिए सुनिश्चित किया जाए तथा दोषियों को भारी दण्ड दिया जाए। गुमनाम रिर्पेटिंग को बढ़ावा देना, नियम लागू करने वाले संगठनो को इस बात की जानकारी देना कि कम उम्र में विवाह करना एक अपराध है तथा दण्डों की सुची बनाकर दबाव बनाने वाले संगठनों द्वारा वृहद रूप से समुदाय के लोगों को समझाना इस दिशा में किया जाने वाले कुछ संभव प्रयास है।

विवाह में विलम्ब कराने के प्रयासो में यह भी आवश्यक है कि सहज एवं गुणवत्ता वाले विद्यालय अथवा जीवकोपार्जन हेतु कुशल प्रशिक्षण दिया जाए एवं उन्हें उपयोग में लाया जाए। यह भी आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करके लडकियों के लिए शिक्षा और भी सहज एवं कक्षा (classroom) को स्त्री–पुरुष वर्ग के अनुसार संवेदी तथा लड़कियों एवं उनके माता–पिता की आवश्यकता के अनुरूप बनाया जाए। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि शैक्षणिक प्रक्रम के साथ साथ उसके बाहर भी उन्हें जीविकोपार्जन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

माता–पिता को भी उनके बच्चों को विवाह संबंधी निर्णय लेते समय उन्हें सम्मिलित करने की आवश्यकता के बारे में सूचित करना चाहिए तथा बच्चों को विवाह से पहले होने वाले साथी से मिलने का अवसर देना चाहिए। माता–पिता को कम उम्र में विवाह के कारण उत्पन्न होने वाले शारीरिक एवं मानसिक कठिनाईयों के बारे में जागरूक करना चाहिए तथा उन्हें कम उम्र या बिना तैयारी की विवाह किए हुए बहुत सारे युवा महिलाओं (एवं कुछ युवा पुरुषों) के बुरे अनुभवो से अवगत कराना चाहिए।

विवाहित युवा महिलाओं को अपने जीवन पर ज्यादा नियंत्रण रखने योग्य बनाना

विवाहित युवा महिलाओं द्वारा अनुभव की गई सारी परेशानियां उन कार्यक्रमों को संकेत करती है जो युवा महिलाओं को सहारा देती है, विशेषतया नव–विवाहितो को, क्योंकि उनकी स्थिति एवं आवश्यकताएं विवाहित व्यस्कों से अलग हो सकती हैं। विवाहित महिलाएं विशेष रूप से अलग, कम निर्णायक क्षमता वाली तथा कुछ ही सहायता करने वाले स्रोतो के साथ है। उनके एवं उनके पति के बीच काफी कम संवाद हुए हैं तथा काफी अनुपात में उन्होंने अपने पति द्वारा शारीरिक एवं यौन हिंसा का अनुभव किया है।

उनकी इन कठिनाइयों को संबोधित करने के लिए प्रयासों की आवश्यकता है। विवाहित युवा महिलाओं के सामाजिक अलगाव को रोकने, युगलो में बीच बातचीत को बढ़ाने, कम उम्र में विवाह किये हुए लोगों में समझौता एवं संघर्ष को नियंत्रित करने वाले युक्ति को पैदा करने एवं विवाहित युवा महिलाओं को संसाधनो के उपर ज्यादा नियंत्रण कराने संबंधी कार्यक्रमों

की आवश्यकता है। भारत में कुछ आदर्श आयाम है जो इन आवश्यकताओं की ओर प्रयास कर चुके है। इन आदर्शों की समीक्षा करके उपयुक्त रूप से बढ़ावा देना चाहिए।

नवविवाहितो मे प्रथम गर्भावस्था का विलम्बन एवं गर्भवती महिलाओं में गर्भ संबंधी देखभाल को बढ़ावा देना

झारखंड में बहुत सारी युवा महिलाओं ने शादी के तुरन्त बाद ही पहली बार गर्भधारण किया। युवाओं को उनके गर्भाविलम्बन एवं उचित गर्भनिरोधक की पहुंच के योग्य बनाने से संबंधित कार्यक्रमों की आवश्यकता है। इसके साथ ही सुविधा प्रदान करने वालों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा उन्हें युवा महिलाओं एवं पुरुषों को तथा उन्हें भी जिन्होंने अभी तक गर्भावस्था का अनुभव शुरु नहीं किया है – गर्भनिरोधक एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं गर्भनिरोधक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। यह निष्कर्ष कि पहली एवं अक्सर खतरनाक प्रसूति ही प्रशिक्षित सेवकों द्वारा करायी गयी थी, इस बात के तरफ जोर देती है कि उन कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो पहली बार गर्भवती हुई महिलाओं एवं नवविवाहित युवा महिलाओं की तरफ ध्यान दें। इसके अतिरिक्त यह निष्कर्ष कि विवाहित युवा महिलाओं को इस बात की कम आजादी है कि वे स्वास्थ संबंधी उपचार के लिए जा सकें, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इन महिलाओं के घर पहुंचने की आवश्यकता के महत्व को दर्शाती है।

एक सहयोगी पारिवारिक परिवेश बनाना

पारिवारिक स्तर पर प्राप्त परिणाम, यथा अभिभावकों एवं युवाओं के बीच सीमित मेल–जोल और समाजिक दूरी तथा समाजीकरण के यौन प्रकृति के अनुभवों ने युवाओं के लिए सहयोगी परिवेश के निर्माण की आवश्यकता की माँग करती है। अभिभावकों एवं बच्चों के बीच यौन विषयों पर चर्चाओं में संकोच से संबंधित तथा साथ ही अभिभावक एवं बच्चों के बीच व्यापक मेल–जोल को बढ़ावा देने वाली योजना की आवश्यकता है।

अविवाहित एवं विवाहित युवा पुरुषों एवं महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवा प्रावधानों को पुर्नयोजित करना

यद्यपि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य योजना युवाओं, विशेषतया अविवाहितों के लिए विशेष सेवाओं की वकालत करती है, परन्तु हमारे सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि ये सेवाएं युवाओं तक नहीं पहुँच पायी है। अविवाहित एवं विवाहित युवा पुरुषों एवं महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं, विषमताओं एवं उनकी कमजोरियों के प्रति स्वास्थ्य कर्मियों को संवेदनशील बनाने तथा उन्हें इन समूहों, खास तौर पर नव – विवाहित युवाओं के मध्य पहुँचाने के लिए उपयुक्त रणनीति की आवश्यकता है। अविवाहित युवाओं के लिए भी ऐसी योजनाएं होनी चाहिए जो उनके यौन एवं प्रजनन संबंधी अधिकारों एवं आवश्यकताओं को पहचाने तथा इससे संबंधित सूचनाओं एवं सेवाओं को बढ़ावा दे। अविवाहित युवाओं को दी जाने वाली सलाह एवं गर्भनिरोधक एक निर्भिक एवं गोपनीय माहौल में होने चाहिए। वस्तुतः अध्ययन के परिणाम प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत रणनीतियों के क्रियान्वियन को दर्शाते हैं।

बहुत कम युवा स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के प्रति सजग पाये गये हैं तथा उनमें से अधिकांश का रुझान सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं के अपेक्षा निजी क्षेत्र की सेवाओं के प्रति है। ये परिणाम विभिन्न वित्तीय रणनीतियों के क्रियान्वयन की संभावना को ढूंढ़ने की आवश्यकता पर जोर देते हैं, उदाहरणतया स्वास्थ्य बीमा, प्रतिस्पर्द्धात्मक पत्र योजना, सामुदायिक वित्तीय योजनाएं जो कि युवाओं में व्यापक स्तर पर सेवा प्रदान करने वालों के चुनाव का अवसर प्रदान करें और उनके मध्य उपचार की गुणवत्ता प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाएं। इसके साथ ही युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं

के लिए प्रयास की जरुरत है जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण के समय युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य विकार का परीक्षण करना, साथ ही साथ यौन तथा प्रजनन सेवाएं और ऐसे लक्षणों से युक्त युवाओं को उपयुक्त सुविधाओं एवं सेवा प्रदाताओं के पास भेजने की आवश्यकता है।

आगामी शोध की दिशाएं

इस विवरण में प्रस्तुत परिणाम झारखंड के युवाओं की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा इसके साथ ही भावी शोधों से संबंधित अनेक विषयों – विशेषतया युवावस्था के परागमन काल में युवाओं के व्यवहार एवं आदतों के निर्धारण एवं परिणामों जैसे मुद्दों को उठाते हैं। हलाँकि वास्तव में युवा अध्ययन आँकड़ो का उत्तम स्त्रोत है जो शोधकर्ताओं को सूचनाओं से संबंधित रिक्तियों को पूरा करने योग्य बनायेगा, परन्तु इन जानकारियों में अनेक खामियां हैं जिसके लिए अतिरिक्त शोध की आवश्यकता है।

युवा अध्ययन के निष्कर्ष भविष्य में होने वाले विभिन्न प्रकार के रचनात्मक शोधों की ओर अतिमहत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर करते हैं जो युवाओं के सफल परागमन काल को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित है। उदाहरण के तौर पर – विद्यालयों में पंजीकरण तथा समाप्ति, आर्थिक क्रिया कलाप, यौन संबंध, वैवाहिक जीवन एवं अनुपालक की भूमिका। इसके अलावा साथियों की भूमिका, समाजीकरण गतिविधियाँ, युवाओं की विभिन्न संचार सेवाओं तक पहुँच तथा यह सभी युवाओं के सफल परागमन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं इनसे संबंधित शोधों की आवश्यकता है। एक सामान्य शोध के सिफारिश के अन्तर्गत इस बात के तरफ अतिविशेष बल दिया गया है कि एक प्रत्यक्ष या पैनल अध्ययन बनाया जाए जिसके अन्तर्गत वयस्कों के एक समूह को निरंतर अंतराल पर अध्ययन किया जाए जब तक वे 24 वर्ष के हो जाएं। भावी अध्ययन इस प्रकार के बनाये जाएं जो जीवन घटना चक्र पर आधारित हो तथा जो युवाओं के स्वस्थ परागमन तथा युवाओं के भविष्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करने वाले कारकों को पहचाने एवं उससे संबंधित आँकड़े इकट्ठा करे। संचालक शोध (operations) की भी आवश्यकता है। यद्यपि भारत तथा झारखंड में कई प्रकार के कार्यक्रम शुरु किये गए हैं जो कि युवाओं की जरुरतों को ध्यान में रखते हैं– जैसे कि विवाहित महिलाओं की आवश्यकता पर ध्यान देना, पुरुषत्व एवं महिलावाद के बदलते हुए रिवाज, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, बाजार पर आधारित व्यवहारिक कुशलता को बढ़ाना एवं पारिवारिक जीवन एवं यौन शिक्षा प्रदान करना – परंतु इनमें से कुछ ही का सही मायने में मूल्यांकन किया गया है। अतः सावधानीपूर्वक बनाये गये एवं गहन रुप से मूल्यांकित किए गए उन कार्यक्रमों की अत्यंत आवश्यकता है जो कि उनके विषय वस्तु एवं प्रदत्त सुविधाओं पर ही केवल ध्यान न दें बल्कि उनकी उपयोगिता एवं परिहार्यता को भी मापें। संक्षेप में – जो युवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके परिपेक्ष्य में अति उपयुक्त निष्कर्ष प्रदान करने में समर्थ हो। अंततः एक ऐसे शोध की आवश्यकता है जो युवाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले सफल कार्यक्रमों के मूल्यांकन की देखभाल करे।

संक्षेप में, पहली बार इस अध्ययन ने झारखंड में युवाओं की बहुमुखी अवस्था के बारे में प्रकाश डाला है। यह अध्ययन हमें युवाओं द्वारा महसूस किए जाने वाले चुनौतियों तथा उन्हें प्रौढ़ावस्था में सफल परागमन के योग्य बनाने के दौरान आने वाली कई परेशानियों के बारे में सचेत करते हैं। यह युवाओं में व्याप्त विषमता के तरफ भी जोर देती है, जो केवल उनकी स्थिति के संदर्भ में ही नहीं बल्कि उनकी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पसंदीदा तरीकों के तरफ ध्यान देती है। कार्यक्रमों को युवाओं के विषमता को ध्यान में रखना चाहिए तथा उनमें आवश्यकता को पूरा करने का तरीका, उनकी जरुरतों के अनुरुप होना चाहिए। यहाँ प्रदर्शित किए गए प्रमाण ना केवल झारखंड में युवाओं के जरुरतों को पूरा करने के लिए प्रारंभिक खाका प्रदान करते हैं बल्कि एक आधार–शिला प्रदान करते हैं जिससे कि युवाओं के तरफ संकेत कार्यक्रमों के असर को मापा जा सके।

Key indicators by sex of respondents, 2006-2007: Jharkhand

Key indicators	Men (15-24)	Women (15-24)	Men (15-24)	Women (15-24)	Men (15-24)	Women (15-24)
	Combined		Urban		Rural	
Number of respondents	2,637	5,414	1,656	2,415	981	2,999
Socio-demographic profile						
1. Completed 7 years of schooling (%)	26.9	26.6	17.2	20.3	30.4	28.7
2. Not in school at age 12 (%)	20.1	46.8	10.8	22.2	23.6	55.3
3. Engaged in paid and/or unpaid work in last 12 months (%)	65.1	44.1	51.9	19.7	70.1	52.6
4. Engaged in paid work in last 12 months (%)	57.4	29.7	46.0	14.8	61.6	34.8
5. Unemployment rate (as % of labour force)	21.9	25.6	25.4	38.5	20.7	22.0
6. Mother discussed reproductive processes with respondent (%)	0.3	6.3	0.3	5.1	0.3	6.7
7. Father discussed reproductive processes with respondent (%)	0.3	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1
8. Talked to mother about friends (%)	48.8	63.4	60.1	74.5	44.5	59.5
9. Talked to father about friends (%)	46.6	25.2	55.9	35.6	43.1	21.5
Young people's control over their own lives						
10. Had a bank account (%)	22.4	44.3	28.9	60.8	20.0	38.6
11. Took independent decisions about buying clothes (%)	68.3	34.2	74.5	48.7	66.1	29.2
12. Allowed to visit friends within village/neighbourhood unescorted (%)	N.A.	48.3	N.A.	58.5	N.A.	44.7
13. Allowed to visit health facility unescorted (%)	N.A.	10.3	N.A.	13.8	N.A.	9.1
Sexual and reproductive health knowledge						
14. Correct knowledge of legal minimum age at marriage for females (%)	63.5	52.7	71.4	74.4	60.5	45.2
15. Aware that a woman can get pregnant at first sexual intercourse (%)	36.2	35.4	31.1	30.2	38.1	37.2
16. Aware of:						
a. Condom (%)	84.6	57.2	95.3	79.8	80.6	49.4
b. Oral contraceptive pills (%)	67.1	74.3	82.9	90.9	61.2	68.5
c. IUD (%)	27.8	34.4	38.0	51.9	24.0	28.3
d. Withdrawal (%)	6.9	17.5	7.8	16.3	6.6	17.9
17. Correct specific knowledge[1] of:						
a. Condom (%)	67.7	30.4	78.0	39.3	63.8	27.3
b. Oral contraceptive pills (%)	31.0	40.8	34.8	53.1	29.5	36.6
c. IUD (%)	11.7	15.8	17.6	22.6	9.5	13.4
d. Withdrawal (%)	4.6	14.0	6.2	13.7	4.1	14.1

Key indicators		Men (15-24)	Women (15-24)	Men (15-24)	Women (15-24)	Men (15-24)	Women (15-24)
		Combined		Urban		Rural	
18.	Reported that condoms do not reduce sexual pleasure (%)	24.6	22.0	27.4	18.8	23.2	23.9
19.	Comprehensive knowledge of the conditions under which abortion is legal[2] (%)	6.3	5.6	5.8	6.5	6.5	5.3
20.	Heard about:						
	a. HIV/AIDS (%)	76.5	45.7	92.5	78.1	70.5	34.4
	b. STI/RTI (%)	7.8	8.3	9.9	8.0	7.0	8.4
21.	Comprehensive knowledge of HIV[3] (%)	26.5	16.6	39.6	33.7	21.5	10.7
Pre-marital romantic and sexual relationships							
22.	Ever had an opposite-sex romantic partner (%)	22.2	14.3	24.7	14.9	21.2	14.1
23.	First spent time alone with an opposite-sex romantic partner before age 15 (%)	38.4	53.2	34.4	41.3	40.3	57.5
24.	Ever had pre-marital sexual relations with an opposite-sex romantic partner (%)	8.5	5.7	4.7	1.9	10.0	7.0
25.	Ever had pre-marital sex[4] (%)	16.6	6.7	9.5	2.4	19.3	8.3
Self-reported health problems							
26.	Anxiety about *swapnadosh*/nocturnal emission (men) in last 12 months (%)	20.1	N.A.	21.5	N.A.	19.6	N.A.
27.	Menstrual problems (women) in last 3 months (%)	N.A.	11.5	N.A.	10.1	N.A.	12.0
28.	Symptoms of genital infection in last 3 months[5] (%)	11.5	16.8	8.1	13.8	12.7	17.8
Youth life-style							
29.	Consumed alcohol at least once in last month (%)	8.9	2.4	7.7	0.9	9.3	2.9
30.	Consumed drugs at least once in last month (%)	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
31.	Consumed tobacco products at least once in last month (%)	36.1	3.8	31.6	1.8	37.7	4.5
32.	Involved in physical fights in last 12 months (%)	17.9	4.2	18.4	3.8	17.7	4.4
33.	Watched television often (%)	17.3	20.4	37.6	47.3	9.6	11.1
Programme participation and voting experience							
34.	Participated in youth-related programmes implemented in the community in last 3 years (%)	5.8	2.8	5.6	2.4	5.9	2.9
35.	Voted in last election[6] (%)	70.4	47.7	66.9	41.8	71.7	49.7
Marriage							
36.	Youth aged 20-24 married before age 18	10.9	61.7	4.0	37.5	13.5	69.7

Note: [1]Among all youth. [2]Includes being aware that: (1) termination of pregnancy is legal for married women; (2) termination of pregnancy is legal for unmarried women; (3) aborting a foetus after 20 weeks of pregnancy is illegal, and (4) sex-selective abortion is illegal. [3]Includes: (1) identification of two major ways of preventing HIV (using condoms and having a single sexual partner); (2) rejection of three common misconceptions about HIV transmission; and (3) awareness that one cannot tell by looking at a person whether he/she has HIV. [4]Includes sex with opposite-sex romantic partner, same-sex partner, married woman (for young men not including wife), sex worker (for young men), casual partner, and forced and exchange sex relations, as well as responses in linked anonymous reporting (through sealed envelope). [5]Includes genital ulcers, genital itching, swelling in the groin, discharge, burning during urination, etc. [6]Among those aged 20 or above. N.A.: Not applicable.

Key indicators by sex and marital status of respondents, 2006-2007: Jharkhand

Key indicators	MM (15-29)	MW (15-24)	UM (15-24)	UW (15-24)	MM (15-29)	MW (15-24)	UM (15-24)	UW (15-24)	MM (15-29)	MW (15-24)	UM (15-24)	UW (15-24)
	Combined				Urban				Rural			
Number of respondents	1,259	2,684	2,141	2,730	605	1,034	1,448	1,381	654	1,650	693	1,349
Socio-demographic profile												
1. Completed 7 years of schooling (%)	29.0	26.1	25.2	27.4	22.0	25.4	15.8	17.5	30.4	26.3	29.5	32.6
2. Not in school at age 12 (%)	39.3	60.5	15.4	30.3	22.8	38.6	8.8	13.0	42.4	64.9	18.4	39.5
3. Engaged in paid and/or unpaid work in last 12 months (%)	95.5	46.6	56.8	41.8	92.4	18.2	47.7	20.5	96.0	52.4	60.9	53.1
4. Engaged in paid work in last 12 months (%)	89.4	29.2	49.2	30.8	88.8	12.4	41.6	16.2	89.5	32.6	52.6	38.5
5. Unemployment rate (as % of labour force)	12.7	28.1	26.1	22.2	9.4	49.2	27.5	33.1	13.5	24.8	25.4	17.7
6. Mother discussed reproductive processes with respondent (%)	0.5	7.1	0.2	5.4	0.0	5.1	0.3	5.2	0.5	7.5	0.2	5.5
7. Father discussed reproductive processes with respondent (%)	0.2	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.3	0.0	0.4	0.1
8. Talked to mother about friends (%)	36.4	58.8	51.1	68.6	46.0	67.7	61.1	78.1	34.6	57.1	46.6	63.5
9. Talked to father about friends (%)	38.5	19.2	47.6	31.8	44.4	25.1	56.6	40.9	37.5	18.0	43.6	26.9
Young people's control over their own lives												
10. Had a bank account (%)	27.4	43.3	22.1	44.9	42.1	59.4	28.6	61.7	24.7	40.1	19.2	36.1
11. Took independent decisions about buying clothes (%)	83.6	29.6	64.9	39.5	87.2	40.9	73.6	53.0	82.9	27.3	61.1	32.3
12. Allowed to visit friends within village/neighbourhood unescorted (%)	N.A.	44.2	84.0	53.0	N.A.	50.9	88.2	62.8	N.A.	42.9	82.1	47.8
13. Allowed to visit health facility unescorted (%)	N.A.	9.3	62.6	11.4	N.A.	13.8	71.3	13.9	N.A.	8.4	58.6	10.2
Sexual and reproductive health knowledge												
14. Correct knowledge of legal minimum age at marriage for females (%)	58.5	45.0	65.2	61.8	68.4	66.2	72.0	79.1	56.7	40.8	62.1	52.5
15. Aware that a woman can get pregnant at first sexual intercourse (%)	46.2	41.0	32.9	28.6	47.2	41.0	30.0	24.0	46.0	41.0	34.2	31.0
16. Aware of:												
a. Condom (%)	82.5	58.6	85.9	54.6	98.5	83.6	94.8	77.7	79.7	53.6	81.9	42.4
b. Oral contraceptive pills (%)	69.8	76.9	66.2	70.3	91.4	93.6	82.1	89.3	65.8	73.5	59.1	60.2
c. IUD (%)	30.7	36.6	28.2	31.2	50.3	64.3	38.2	44.9	27.0	31.0	23.7	23.9
d. Withdrawal (%)	7.9	29.3	6.9	2.7	13.8	40.1	7.4	2.8	6.9	27.1	6.6	2.7
17. Correct specific knowledge[1] of:												
a. Condom (%)	71.8	38.9	68.0	19.5	88.8	58.8	76.5	28.3	68.6	34.9	64.1	14.8
b. Oral contraceptive pills (%)	40.4	47.1	29.8	32.5	53.8	67.4	32.9	45.1	37.9	43.1	28.4	25.8
c. IUD (%)	18.1	20.0	11.3	10.3	30.5	36.1	17.0	14.9	15.8	16.8	8.6	7.9
d. Withdrawal (%)	6.7	23.9	4.4	1.5	11.7	35.0	5.8	1.6	5.7	21.6	3.8	1.5
18. Reported that condoms do not reduce sexual pleasure (%)	32.8	30.6	23.4	10.8	43.8	32.5	26.0	10.2	30.4	29.9	22.1	11.4
19. Comprehensive knowledge of the conditions under which abortion is legal[2] (%)	6.6	5.6	6.6	5.5	7.6	6.9	5.6	6.2	6.4	5.4	7.0	5.1
20. Heard about:												
a. HIV/AIDS (%)	63.3	35.5	80.2	57.3	91.3	65.6	92.6	85.1	58.1	29.5	74.7	42.6
b. STI/RTI (%)	10.3	10.7	7.4	5.2	11.2	12.4	10.3	5.5	10.2	10.4	6.2	5.1
21. Comprehensive knowledge of HIV[3] (%)	20.0	12.2	29.6	21.6	34.5	28.8	41.0	36.5	17.3	8.8	24.6	13.8
Pre-marital romantic and sexual relationships												
22. Ever had an opposite-sex romantic partner (%)	22.4	12.7	21.2	16.3	26.4	16.9	24.3	13.8	21.7	11.9	19.8	17.6
23. First spent time alone with an opposite-sex romantic partner before age 15 (%)	31.6	54.4	36.8	52.5	28.8	45.5	33.5	38.5	32.0	56.8	38.6	58.2

Key indicators	MM (15-29)	MW (15-24)	UM (15-24)	UW (15-24)	MM (15-29)	MW (15-24)	UM (15-24)	UW (15-24)	MM (15-29)	MW (15-24)	UM (15-24)	UW (15-24)
	Combined				Urban				Rural			
24. Ever had pre-marital sexual relations with an opposite-sex romantic partner (%)	11.8	5.8	6.1	5.8	8.7	3.1	4.1	1.4	12.4	6.4	7.0	8.1
25. Ever had pre-marital sex[4] (%)	25.7	6.5	12.4	7.2	15.3	3.5	8.2	1.7	27.7	7.1	14.3	10.1
Self-reported health problems												
26. Anxiety about *swapnadosh*/nocturnal emission (men) in last 12 months (%)	9.6	N.A	22.9	N.A	9.1	N.A	22.9	N.A	9.7	N.A	22.9	N.A
27. Menstrual problems (women) in last 3 months (%)	N.A	12.1	N.A	10.7	N.A	10.6	N.A	9.7	N.A	12.4	N.A	11.1
28. Symptoms of genital infection in last 3 months[5] (%)	13.9	20.3	11.3	12.4	6.6	18.6	8.2	11.2	15.2	20.7	12.6	13.1
Youth life-style												
29. Consumed alcohol at least once in last month (%)	23.0	3.4	6.4	1.2	21.3	2.0	6.1	0.1	23.4	3.6	6.5	1.8
30. Consumed drugs at least once in last month (%)	0.8	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.8	0.0	0.3	0.0
31. Consumed tobacco products at least once in last month (%)	64.9	5.3	29.9	2.1	66.0	4.2	27.7	0.3	64.6	5.5	30.9	3.0
32. Involved in physical fights in last 12 months (%)	15.8	3.7	18.9	4.9	12.8	3.8	19.1	3.8	16.3	3.6	18.8	5.5
33. Watched television often (%)	9.4	14.2	19.8	27.3	28.4	37.9	38.8	52.6	5.8	9.4	11.3	13.8
Programme participation and voting experience												
34. Participated in youth-related programmes implemented in the community in last 3 years (%)	5.6	1.9	6.2	4.0	4.6	1.1	5.6	3.1	5.7	2.0	6.5	4.4
35. Voted in last election[6] (%)	83.6	48.5	67.6	44.0	79.6	39.8	66.0	45.1	84.4	50.6	68.5	42.9

Married life	MM (15-29)	MW (15-24)	MM (15-29)	MW (15-24)	MM (15-29)	MW (15-24)
	Combined		Urban		Rural	
36. Reported a love marriage (%)	4.8	7.9	7.6	12.4	4.2	7.0
37. Usually discussed money matters with spouse (%)	84.9	87.0	90.2	90.3	84.0	86.4
38. Reported any physical violence perpetrated on wife by husband (%)	27.0	27.0	23.2	22.5	27.7	27.9
39. Husband ever forced wife to have sex (%)	23.3	39.7	17.5	30.8	24.4	41.5
40. Ever had extra-marital sex (%)	2.4	0.5	3.1	0.0	2.3	0.6
41. Ever used contraception within marriage (%)	21.6	24.0	40.2	38.9	18.1	21.0
42. Currently using contraception (%)	12.8	17.4	25.1	27.9	10.5	15.3
43. Ever used a contraceptive method to delay first pregnancy (%)	11.5	5.1	21.1	10.1	9.6	4.1
44. Children ever born (mean)	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4
45. Ideal number of children[7] (mean)	2.6	2.6	2.3	2.3	2.7	2.7
46. First delivery in health institution[8]	22.9	24.4	45.2	55.1	18.5	18.5
47. First birth attended by a health professional[9] (%)	90.6	89.7	95.6	94.4	89.8	88.9

Note: MM: Married men, MW: Married women, UM: Unmarried men, UW: Unmarried women. [1]Among all youth. [2]Includes being aware that: (1) termination of pregnancy is legal for married women; (2) termination of pregnancy is legal for unmarried women; (3) aborting a foetus after 20 weeks of pregnancy is illegal, and (4) sex-selective abortion is illegal. [3]Includes: (1) identification of two major ways of preventing HIV (using condoms and having a single sexual partner); (2) rejection of three common misconceptions about HIV transmission; and (3) awareness that one cannot tell by looking at a person whether he/she has HIV. [4]Includes sex with opposite-sex romantic partner, same-sex partner, married woman (for young men not including wife), sex worker (for young men), casual partner, and forced and exchange sex relations, as well as responses in linked anonymous reporting (through sealed envelope). [5]Includes genital ulcers, genital itching, swelling in the groin, discharge, burning during urination, etc. [6]Among those aged 20 or above. [7]Includes only numeric responses. [8]Includes those whose first pregnancy outcome was a live or still birth. [9]Includes institutional delivery or home delivery attended by a doctor/ANM/nurse/LHV, midwife (trained) or other health professional, among those whose first pregnancy outcome was a live or still birth. N.A.: Not applicable.

Notes

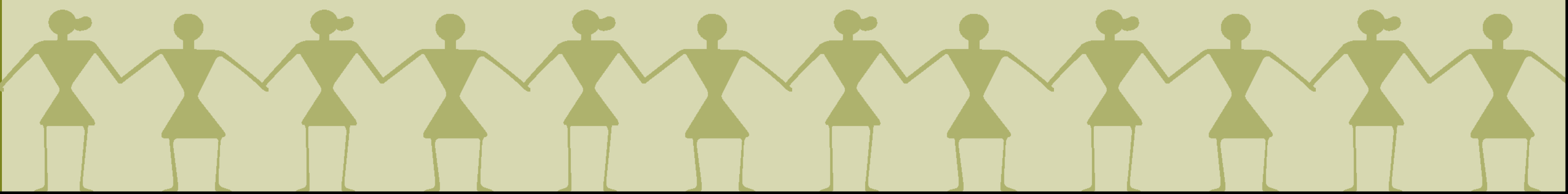

Supported by:

the David & Lucile Packard FOUNDATION

MACARTHUR
The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation